Australian Government

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता

हमारा साझा सम्बन्ध

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा पास करने के लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वह इस पुस्तक में है: नागरिकता परीक्षा पास करने के लिए आपको किसी व्यक्ति या संस्था से अन्य नागरिकता पैकेज खरीदने या प्राप्त करने की ज़रुरत नहीं है। विभाग किसी ऐसे पैकेज को स्वीकृति या सुझाव नहीं देता है जो यह दावा करे कि यह नागरिकता परीक्षा पास करने में आपकी मदद करेगा।

© ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल 2020

कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स के अलावा, इस प्रकाशन में प्रस्तुत सभी सामग्री https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode पर Creative Commons Attribution 4.0 International लाइसेंस के तहत प्रदान की जाती है।

इसका यह अर्थ है कि यह लाइसेंस इस दस्तावेज़ में निर्धारित सामग्री पर ही लागू है।

प्रासंगिक लाइसेंस शर्तों के विवरण Creative Commons की वेबसाइट https://creativecommons.org/ और CC BY 4.0 लाइसेंस के लिए पूर्ण कानूनी संहिता https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode पर

कोट ऑफ ऑर्मस का प्रयोग

वे शर्तें जिनके अधीन कोट ऑफ ऑर्म्स का प्रयोग किया जा सकता है, Department of Prime Minister and Cabinetकी वेबसाइट https://www.pmc.gov.au/government/commonwealth-coat-arms. पर दी गई हैं।

हमें संपर्क करें

इस दस्तावेज़ के किसी प्रयोग और लाइसेंस से सम्बन्धित पूछताछ का स्वागत हैं:

Portfolio Media and Engagement Branch
Department of Home Affairs
PO Box 25
BELCONNEN ACT 2616

अस्वीकरण

आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि इस प्रकाशन में मृत्क व्यक्तियों से सम्बन्धित तस्वीरें और/या सामग्री शामिल है।

विषय-वस्तु

आपके लिए एक संदेश 2

परीक्षणीय खंड

भाग 1: ऑस्ट्रेलिया और इसके लोग 7

भाग 2: ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताएं, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं 17

भाग 3: ऑस्ट्रेलिया में सरकार और कानून 23

भाग 4: ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ 33

परीक्षणीय खंड की शब्दावली 40

अभ्यास प्रश्नावली 44

गैर-परीक्षणीय खंड

भाग 5: वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया 48

भाग 6: हमारी ऑस्ट्रेलियाई गाथा 63

गैर-परीक्षणीय खंड की शब्दावली 84

और अधिक जानकारी के लिए 86

अभिस्वीकृतियाँ 88

आपके लिए एक संदेश

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनने का चुनाव करने के लिए आपको बधाई हो! किसी नए देश में रहने और एक नागरिक के रूप में शामिल होने के लिए जरूरत होती है साहस, प्रयास और समर्पण-भावना की। अपने शांतिप्रिय एवं लोकतांत्रिक समाज में आपके योगदान को हम मूल्यवान समझते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता आपके आव्रजन (माइग्रेशन) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनने का मतलब यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया एवं इस देश से जुड़ी हर चीज के प्रति सतत समर्पण-भावना रख रहे हैं। साथ ही, यह ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में आपकी औपचारिक सदस्यता की शुरुआत भी है। यह वह कदम है जिसके आधार पर आप कह सकेंगे कि "मैं एक ऑस्ट्रेलियाई हूँ"।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता एक विशेषाधिकार है जिसके कई लाभ हैं। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनकर आप एक अनूठे राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हो रहे हैं। हमारे देश का निर्माण हमारे आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों, ब्रिटेन से विरासत में मिले लोकतांत्रिक संस्थानों, और विश्व भर से यहाँ आए प्रवासियों के योगदान से हुआ है। हम अपनी विविधता का जश्न मनाते हैं, और साथ-साथ एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास करते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की ताकत का मतलब यह है कि हम समस्याओं के समाधान और ऑस्ट्रेलिया के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। हमारे पास एक सुदृढ़ शासन-प्रणाली है और ऑस्ट्रेलिया के लोग अधिकारियों तथा देश के कानून का सम्मान करते हैं। हमारी स्थिरता, हमारी संस्कृति और हमारे कानूनों को हमारे इतिहास ने आकार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई समुदाय से जुड़कर, आप ऑस्ट्रेलिया की कहानी में योगदान दे पाएँगे और आप इसे आकार देने की स्थिति में होंगे।

ऑस्ट्रेलिया एक प्राचीन भूमि है। यह विशाल और विशिष्ट है। यह वर्षावनों और लकड़ी भू-भाग; समुद्री तटों और रेगिस्तान; और शहरों व खेतों का राष्ट्र है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातीय संस्कृतियां दुनिया की प्राचीनतम सतत जारी संस्कृतियों में से सबसे पुरानी है। हम एक युवा राष्ट्र भी हैं; प्रवासियों का राष्ट्र। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों का बसना 1788 में ही शुरू हो गया था और आज भी हम नए-नए प्रवासियों का स्वागत कर रहे हैं। 200 से भी अधिक देशों के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया है।

200 से भी अधिक देशों के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया है। फलस्वरूप, हमारा समाज दुनिया के सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाजों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रजातीय एवं सांस्कृतिक विविधता को एक राष्ट्रीयता के रूप में पिरोया है। नागरिकता ही वह बन्धन है जिसने हम सबको एकजुट करके रखा है।

ऑस्ट्रेलिया एक लोकतांत्रिक देश है। नागरिकता के माध्यम से आपको हमारे इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूर्ण भागीदारी करने का मौका मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के एक औपचारिक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और उसकी स्वतंत्रता, स्त्री-पुरुष की समानता तथा कानून के शासन जैसी साझी मान्यताओं में विश्वास करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता का मतलब है इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में जीना।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनना

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है, और फिर उसके पास हमारे राष्ट्र के नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करने का अधिकार होता है।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा यह जांचने के लिए तैयार की गई है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया, इसके लोकतांत्रिक सिस्टम और मान्यताओं,तथा नागरिकता की जिम्मेदारियों और विशेषाधिकारोंके बारे में पर्याप्त ज्ञान है या नहीं।

नागरिकता परीक्षा कंप्यूटर आधारित, मल्टीपल च्वाइस परीक्षा है जो अंग्रेज़ी में होती है। नागरिकता परीक्षा में अनेक प्रश्नों के समूह से यादृच्छिक (रैंडम) तरीके से 20 प्रश्न निकाले जाते हैं.

इस परीक्षा को पास करने के लिए, आपके लिए यह ज़रुरी है कि सभी पांच मान्यता सवालों का सही जवाब दें, और आपके कुल 75 प्रतिशत अंक आएँ।

नागरिकता परीक्षा का आयोजन पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में गृह मामला विभाग (Department of Home Affairs) के कार्यालयों में किया जाता है। परीक्षाओं का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रीय स्थलों तथा कुछ विदेशी दूतावासों में भी किया जाता है।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा की तैयारी

नागरिकता परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इस संसाधन पुस्तक का अध्ययन करना होगा. *ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता: हमारा साझा सम्बन्ध*

संसाधन पुस्तक में एक परीक्षणीय और दूसरा गैर-परीक्षणीय खंड है.

परीक्षणीय खंड

नागरिकता परीक्षा पास करने के लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वह इस पुस्तक के प्रथम चार भागों में है:

- भाग 1 — ऑस्ट्रेलिया और इसके लोग
- भाग 2 — ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताएं, अधिकार एवं स्वाधीनताएं
- भाग 3 — ऑस्ट्रेलिया में सरकार एवं कानून
- भाग 4 — वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया

नागरिकता परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर दे सकने के लिए आपको परीक्षणीय खंड में दी गई जानकारियों को जानना-समझना होगा.

गैर-परीक्षणीय खंड

गैर-परीक्षणीय खंड में वे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनसे आपको ऑस्ट्रेलिया के इतिहास और संस्कृति को समझ पाने में मदद मिलेगी. इन जानकारियों के आधार पर आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी.

- भाग 5 — वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया
- भाग 6 — हमारी ऑस्ट्रेलियाई गाथा

अभ्यास प्रश्नावली

परीक्षणीय खंड के अंत में नागरिकता परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद के लिए 20 अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं.

शब्दावली

परीक्षणीय एवं गैर-परीक्षणीय दोनों ही खंडों के अंत में एक शब्दावली (प्रमुख शब्द और उनके अर्थ) दी गई है.

और अधिक जानकारी के लिए

संसाधन पुस्तक के पिछले भाग में, आप इस बारे में सलाह प्राप्त कर सकते हैं कि अधिक जानकारी कहाँ प्राप्त करें।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा के दौरान सहायता

आशा की जाती है कि अधिकांश भावी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के पास बिना किसी सहायता के नागरिकता परीक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक साक्षरता जरूर होगी. टेक्स्ट टू स्पीच टैक्नोलोजी, जिसका प्रयोग आप सवाल सुनने और जवाबों के विकल्प सुनने के लिए कर सकते हैं, भी उपलब्ध है।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा के बाद

यदि आप परीक्षा पास करते हैं, तो हम आपके आवेदन को प्रोसेस करना जारी रखेंगे। यदि आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है, और आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप नागरिकता समारोह में भाग लें, तो आपको समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। सामान्यत:, आपका समारोह आपके आवेदन के स्वीकार होने के समय से छ: महीने में किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रतिज्ञा

ऑस्ट्रेलिया के सभी नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे हमारे अधिकारों और दायित्वों को समझें और यह जान सकें कि नागरिक होने का अर्थ क्या होता है, चाहे हम जन्म से ऑस्ट्रेलियाई हों या इसे अपना देश चुना हो. यह हमारे राष्ट्र-निर्माण का एक निर्णायक बिन्द है।

जब आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता समारोह में शामिल होंगे तो आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे.

ऐसा करते हुए आप सार्वजनिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रति अपनी समर्पण-भावना दर्शाते हैं तथा नागरिक होने के दायित्वों और विशेषाधिकारों को स्वीकार करते हैं।

आप निम्नांकित प्रतिज्ञा करेंगे:

आज के दिन से, ईश्वर को साक्षी रखकर,
मै ऑस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ,
जिनके लोकतांत्रिक विचारधाराओं को मैं सांझा करता/करती हूँ,
जिनके अधिकारों और स्वाधीनताओं का मैं सम्मान करता/करती हूँ,
और जिनके कानूनों को मैं समथर्न दूंगा / दूंगी और जिनका पालन करूगां / करूगीं.

**यदि कोई चाहे तो, वह 'इश्वर को साक्षी रखकर' शब्दां का प्रयोग नहीं भी कर सकता हैं.*

जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इस प्रतिज्ञा में निहित भावार्थ को पूरी तरह से समझ सकेंगे और इस बात से भी अवगत हो पाएंगे कि आप ऑस्ट्रेलियाई समाज में अपनी भूमिका कैसे सशक्त कर सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता समारोह

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता समारोह छोटे स्तर पर हो सकते हैं. जिनमें कम लोग उपस्थित हों, या वे बहतु बड़े भी हो सकते हैं. जिनमें सैकडों- हजारों लोग शामिल हों. नए नागरिकों की उमगं और गर्भ-भावना इसे एक आनन्ददायक उत्सव बना दतीं हैं.

नागरिकता समारोह के आरभं में आपका स्वागत आपके क्षेत्र के भूस्वामी जनजातीय कबीले के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता हैं। देश में स्वागत करने का प्रोटोकॉल जनजातीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा हजारों सालों से अपने परंपरागत स्वदेश में अमल में लाया जाता रहा है। आपके स्थानीय समुदाय के अन्य नेताओं या सरकारी प्रतिनिधियों से आप प्रोत्साहन और स्वागत के शब्द सुनेंगे।

नागरिक बनने के लिए तैयार अन्य लोगों के साथ आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रतिज्ञा जोर से बोलकर पढेंगे या दुहराएंगे। यह इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जबतक आप ऑस्ट्रेलिया के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा न लें, तब तक आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं बन सकते हैं।

प्रतिज्ञा करते समय आप चाहें तो हाथ में रखने के लिए कोई पवित्र ग्रंथ साथ ला सकते हैं. पर ऐसा करना जरूरी नहीं है.

आपके समुदाय के नेता अथवा सरकारी प्रतिनिधि नागरिकता के अर्थ पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे. आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता का प्रमाण-पत्र मिलेगा, तथा समुदाय की ओर से कोई छोटा-सा तोहफा भी मिल सकता हैं. सभी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान "ऐडवामस ऑस्ट्रेलिया फेयर" गाएंगे. नागरिकता समारोह के बाद, आपको अपने ऑस्ट्रेलियाई बंधुओं के साथ मिलने जुलने और खुशियां मनाने का मौका मिलेगा.

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनने एवं ऑस्ट्रेलिया में एक सार्थक , शांतिपूर्ण जीवन जीने के प्रयास में हम आपकी सफलता की कामना करते हैं.

और अधिक जानकारी के लिए

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता की वेबसाइट www.citizenship.gov.au देखें।

परीक्षणीय खंड का आरंभ

भाग एक

ऑस्ट्रेलिया और इसके लोग

ऑस्ट्रेलिया और इसके लोग

नागरिकता समारोह में आप ऑस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं. अतः आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी अपनी स्वदेशी विरासत के साथ-साथ आप ऑस्ट्रेलिया के समुदाय और जनसंख्या के बारे में भी जाने - समझें. आपके लिए यह समझना भी जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्या था और हम एक स्थिर और सफल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में कैसे विकसित हुए।

इस खडं में आपको एसी कछु घटनांऔ के बारे में पढने को मिलेगा, जिन्होने हमारी इस गाथा के निर्माण में योगदान दिया हैं। हमारे राज्यों और प्रदेशों के बारे में जानकारियां दी गई हैं. तथा उन परम्पराओं एवं प्रतीकों के बारे में भी जानकारियां हैं. जिन्हें हम गर्व से विशिष्ट रूप से ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं.

आदिवासी एवं टॉरस स्ट्रटे द्वीपवासी लोग

आदिवासी एवं टॉरस स्ट्रटे द्वीपवासी लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रथम निवासी थे, जिनकी विश्व में सबसे पुरानी आदिवासी संस्कृति और परंपराएँ हैं।

एतिहासिक रूप से आदिवासी लोग ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग और तस्मानिया से आए हैं. पुरातात्विक रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि आदिवासी लोग 65,000 से 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे; परन्तु आदिवासी लोगों का मानना है कि वे इस भूमि के निर्माण की कहानियों के केन्द्रीय भाग हैं, और उनकी निर्माण कहानियों की शुरुआत समय की शुरुआत से हुई थी। टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग क्वींसलैंड के उत्तरी छोर और पापुआ न्यू गिनी के बीच के द्वीपों से हैं।

आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की पुराने जमाने की विचारधाराएँ और परंपराएँ हैं जो आज भी उनका निदेशन करती हैं। इस धरती से उनका एक गहरा लगाव है जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कथाओं कलाओं और उनके नृत्यों में होती है. जनजातीय संस्कृतियाँ विविध हैं और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण भाग हैं।

जनजातीय और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के बारे में अधिक जानकारी *भाग 5, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया* और *भाग 6, हमारी ऑस्ट्रेलियाई कहानी* में पाई जा सकती है।

यूरोपीय लोगों के बसने के आरंभिक दिन

युरोपीय लोगों की आबादी तब शुरु र्हइु जब गट्रेर बिट्र ने से 26 जनवरी 1788 को 'फस्र्ट फ्लीट' (प्रथम बेडा) के नाम से पहचाने जाने वाले 11 आरोपी जहाज यहां पहुंचे.

उस समय ब्रिटिश कानून बड़े सख्त थे और विभिन्न अपराधों में इतने लोगों को कैद कर लिया गया था कि वे जेलों में नहीं समा सकते थे। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि इन आरोपियों को दुनियां के दसूरे छोर, न्यू साउथ वेल्स की नई कॉलोनी (उपनिवेश) में स्थानातं रित कर दिया जाएगा।

न्यू साउथ वेल्स कॉलोनी के प्रथम गवनर्र -जनरल कैप्टन आथर्र फिलिप थें. कॉलोनी बची रही और बाद में जब और भी अधिक आरोपी एवं प्रथम बाशिन्दे आए तो कॉलोनी विकसित होती र्गइ. देश के अन्य हिस्सों में और भी कॉलोनियां स्थापित की गईं.

आरंभिक आजाद बाशिन्दे गट्रेर बिट्र ने और आयरलडैं से आए. ऑस्ट्रेलिया के इतिहास, इसकी ससं्कृति और राजनीतिक दशाओं पर ब्रिटिश एवं आयरिश विरासत का बहतु बडा़ प्रभाव पडा़ हैं.

1851 में न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया की कॉलोनियों में स्वर्ण की खोज हुई जिससे 'गोल्ड रश' की शुरुआत हुई। अपनी-अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनियां भर के लोग इन कॉलोनियों में आए. उस समय किसी गैर-युरोपीय समुदाय से सबसे बडी़ संख्या में आने वाले लोग चीन से थे. 10 ही सालों में जनसंख्या दोगनुी से भी ज्यादा हो गई।

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र

1901 मे, इन उपनिवेशों या कॉलोनियों को मिलाकर एक राज्यसंघ बना दिया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया। इस समय हमारी राष्ट्रीय संसद, सरकार और उच्च न्यायालय सहित हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थानपना नए ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अधीन हुई थी। 1901 में, ऑस्ट्रेलियाई की जनसंख्या करीब चालीस लाख थी। इस संख्या में आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग शामिल नहीं थे, क्योंकि 1967 में हुए जनमत संग्रह से पहले उन्हे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की आधिकारिक अनुमान में शामिल नहीं किया जाता था।

20वीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में लोगों के आने जाने के इस क्रम में उतार-चढाव आता रहा। ब्रिटिश प्रवासियोंको यहां बसाने की योजनाएं बनीं और कई लोग आकर बसे भी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, जबकि युरोप के लाखौं लोगों को अपना घर-बार छोडना पडा, तो गैर-ब्रिटिश प्रवासियों के यहां आने की लहर चली। एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में युरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया आए।

हाल के वर्ष में हमारी आवज्रन (माइग्रेशन) एवं शरणार्थी योजनाओं के तहत दुनियां-भर से लोग यहां आए हैं. लोग यहां अपने परिवार का हिस्सा बनने, एक नए जीवन की शुरूवात करने, या गरीबी, युद्ध और यातना से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आए हैं.

पिछले दो दशकों में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की विविधता में वृद्धि हुई है। विविध और संपन्न समाज दुनिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध को बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों की विविधता का समारोह मनाने के साथ-साथ हमारा लक्ष्य एक सशक्त एवं एकता में बंधा देश बनाना भी है.

ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है. यह हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक अगं हैं. ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं के अनुसार, प्रवासियों को अंग्रेज़ी सीखनी और प्रयोग करनी चाहिए ताकि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई समाज में भाग लेने में मदद मिले। ऑस्ट्रेलिया में रहन-सहन और काम करने का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ी में बातचीत करना महत्वपूर्ण है।

अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया जाता है, जिनमें 100 से अधिक आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी भाषाएँ शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया के राज्य एवं प्रदेश

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमडंल राज्यों एवं प्रदेशों का एक परिसंघ है. छ राज्य एवं दो मुख्य भूभागीय प्रदेश हैं. कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तथा प्रत्यके राज्य एवं मुख्य भूभागीय प्रदेशों की भी अपनी-अपनी राजधानियां हैं.

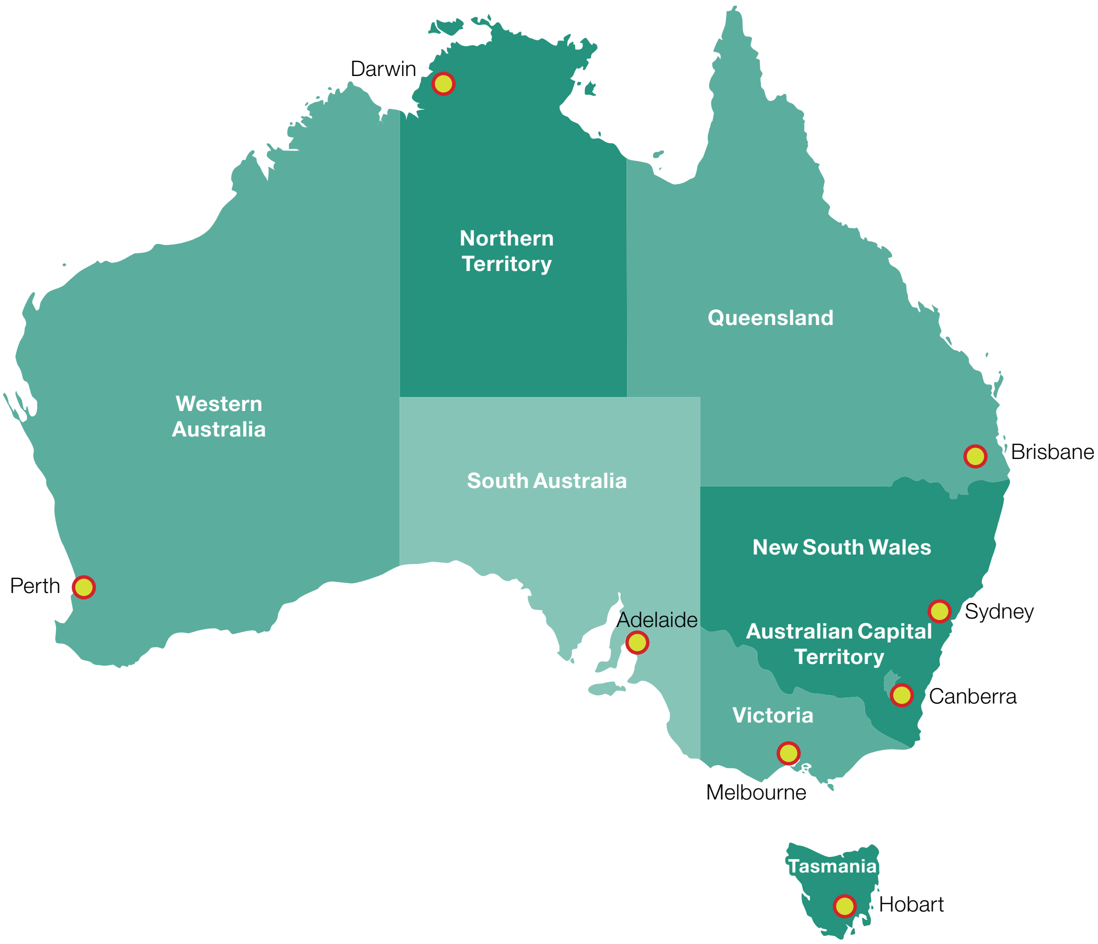

राज्य	राज्यों के राजधानी
New South Wales (NSW)	Sydney
Victoria (Vic.)	Melbourne
Queensland (Qld)	Brisbane
Western Australia (WA)	Perth
South Australia (SA)	Adelaide
Tasmania (Tas.)	Hobart
राज्य -क्षेत्र	**राज्यों के राजधानी**
Australian Capital Territory (ACT)	Canberra
Northern Territory (NT)	Darwin

राज्य

न्यू साउथ वेल्स (New South Wales) ब्रिटिश लोगों द्वारा स्थापित किया गया पहला उपनिवेश (कॉलोनी) था. सिडनी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है. और देश का सबसे बडा़ शहर भी हैं। सिडनी का हार्बर ब्रिज्र तथा ओपेरा हाउस देश की पहचान हैं.

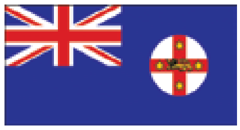

विक्टोरिया (Victoria) भूभाग के राज्यों में से सबसे छोटा राज्य है. विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। विक्टोरिया में अनेक उत्कृष्ट भवनों का निर्माण 1850 में स्वर्ण-होड़ (गोल्ड रश) के समय किया गया था. विक्टोरिया की राजधानी मेलबॉर्न है. विक्टोरिया के प्रतीक चिन्हों में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, 12 एपोस्टल्स, औरand the Royal Exhibition Building शामिल है।

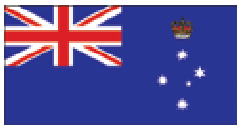

क्वींसलैंड दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिसबेन हैं. टोरस स्ट्रेट द्वीप राज्य के उत्तर में स्थित हैं और विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के साथ-साथ चलती है। क्वींसलैंड में ऊष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण तटीय क्षेत्र और अक्सर शुष्क भीतरी भू-भाग है।

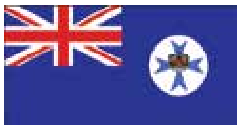

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (Western Australia) सबसे बड़ा राज्य है. पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इस राज्य का पूर्वी हिस्सा ज्यादातर मरुभूमि है, जबकि दक्षिण-पश्चिमी हिस्सा कृषि एवं मदिरा-उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है. इस राज्य में कई खनन परियोजनाएं हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रतीकों में Ningaloo Coast, Margaret River, और Kimberley के क्षेत्र शामिल हैं।

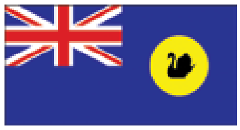

साउथ ऑस्ट्रेलिया (South Australia) रूक्ष समुद्र-तट एवं कई प्रसिद्ध मदिरा-उत्पादन क्षेत्रों का स्थान है. राजधानी एडिलेड में औपनिवेशिक वास्तुकला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं. साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रतीकों में Barossa Valley और Flinders Ranges शामिल हैं।

तस्मानिया (Tasmania) सबसे छोटा राज्य है जोकि बैस स्ट्रेट द्वारा मुख्य भूभाग से अलग है. तस्मानिया की राजधानी होबॉर्ट है। ज्यादातर द्वीप क्षेत्र में अक्षत एवं ऐकान्तिक भू-परिदृश्यों की प्रचुरता है. तस्मानिया के प्रतीकों में Cradle Mountain, Port Arthur, और Bay of Fires शामिल हैं।

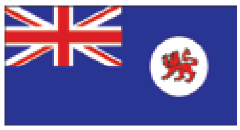

राज्य-क्षेत्र

ऑस्ट्रेलियाई **राजधानी क्षेत्र (Australian Capital Territory)** सिडनी और मेलबॉर्न के बीच स्थित है. राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा यहीं है. कैनबरा में संसद एवं ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान हैं.

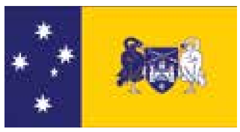

उत्तरी क्षेत्र (Northern Territory) के उत्तर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिण में मरुस्थलीय लाल मिट्टी है. डॉर्विन राजधानी है। नॉर्दर्न टेरेटरी के प्रतीकों में Uluru, Kata Tjuta और Kings Canyon शामिल है।

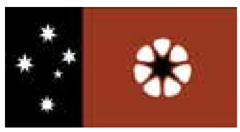

परंपराएँ

देश में स्वागत और देश के प्रोटोकॉल्स की अभिस्वीकृति

देश में स्वागत एक सांस्कृतिक अभ्यास है जिसे स्थानीय क्षेत्र के आदिवासी या टोरस स्ट्रेट द्वीपवसी संरक्षक द्वारा किया जाता है, इसमें आगंतुकों को उनकी परंपरागत भूमि पर स्वागत करना शामिल होता है। इसे परंपरागत तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि आगंतुकों का उस भूमि पर उनके समय में सुरक्षित और संरक्षित यात्रा हो।

देश में स्वागत कई तरह से किया जा सकता है, इसमें गाने, नाच, धुएँ से सम्बन्धित समारोग या परंपरागत या अंग्रेज़ी भाषा में भाषण देना शामिल है।

देश में स्वागत समारोह की शुरुआत करने का पहला कदम होता है।

देश में स्वागत यह पहचान करने का अवसर है कि समारोह आदिवासी या टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी भूमि पर किया जा रहा है; परंपरागत संरक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है, विशेषकर भूतपूर्व और वर्तमान वृद्धों को; और उपस्थित आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों को सम्मान दिया जा रहा है।

देश में अभिस्वीकृति आम-तौर पर बैठकों और समारोहों में स्वागत और हाउसकीपिंग के भाग के तौर पर प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति देश में अभिस्वीकृति प्रदान कर सकता है। बैठकों/समारोहों पर, यह सामान्यत: समारोह के अध्यक्ष या प्रबंधकर्ता द्वारा किया जाता है।

ये अभ्यास आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के लिए सम्मान दर्शाने हेतु किए जाते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई लोगों के महत्वपूर्ण दिवस

ऑस्ट्रेलिया दिवस

हर साल 26 जनवरी को हम ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं. ऑस्ट्रेलिया दिवस के दिन ऑस्ट्रेलिया के हरेक राज्य एवं प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहता है. यह वह दिन है जबकि 1788 में ग्रेट ब्रिटेन से 'फर्स्ट फ्लीट' (प्रथम बेड़ा) के आगमन की वर्षगांठ पड़ती है.

ऑस्ट्रेलिया दिवस पर, पूरे ऑस्ट्रेलिया में समुदाय हमारे इतिहास और उन लोगों पर सोच-विचार करते हैं जिन्होंने हमारी सांझी उपलब्धियों में योगदान दिया है। यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा वार्षिक सार्वजनिक अवकाश है।

ऑस्ट्रेलिया दिवस उस योगदान को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने के बारे में है जो हर ऑस्ट्रेलियाई हमारे समकालीन और गतिशील राष्ट्र में देता है: हमारे आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों से लेकर - जो यहाँ करीब 65,000 सालों से हैं - उन लोगों तक जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और उन लोगों तक जिन्होंने दुनिया के सभी कौनों से आकर इस देश को अपना घर माना है। ऑस्ट्रेलिया डे के दिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में समारोहों का आयोजन किया जाता है, इसमें विशेष नागरिकता समारोह शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द इयर एवार्ड्स की घोषणा करते हैं.

ऐनज़ैक डे

ऐनज़ैक डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है. ऐनज़ैक डे का नामकरण ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की सशस्त्र सेनाओं पर किया गया है जोकि प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 25 अप्रैल 1915 को तुर्की के गैलिपोली में उतरी थीं.

ऐनज़ैक डे एक गंभीर दिवस है जब हम युद्ध, संघर्ष और शांति-रक्षा के लिए शहीद हुए सभी ऑस्ट्रेलियावासियों के बलिदानों को याद करते हैं. हम सभी सैनिकों के साहस और प्रतिबद्धता का भी सम्मान करते हैं और युद्ध के कई अर्थों पर विचार करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों और जश्नों के बारे में जानकारी *भाग 5, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया* पर पाई जा सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के ध्वज

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का आधिकारिक ध्वज है। अन्य ध्वज जिन्हें आधिकारिक तौर पर पहचान है और जिन्हें समुदाय में लहराया जा स्काता है उनमें ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी ध्वज और टोरस स्ट्रेट द्वीपवसी ध्वज शामिल हैं।

हर राज्य और प्रदेश के अपने अलग-अलग ध्वज हैं. इन्हें पृष्ठ सं. 11 पर देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय झंडा

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय झंडा नीले, सफेद और लाल रंग का है.

- ग्रेट ब्रिटेन का झंडा, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, सबसे ऊपर बाएं कोने में है. यह ब्रिटिश आबादी का हमारा इतिहास और इसके फलस्वरुप हमें विरासित में मिले कानूनों और संस्थानों को परिलक्षित करता है।
- यूनियन जैक के नीचे राष्ट्रमंडल सितारा (कॉमनवेल्थ स्टार) है इसके सात कोण हैं. प्रत्यके कोण छः अलग-अलग राज्यों और एक कोण सभी प्रदेशों का सूचक है.
- दाईं ओर बना सदर्न क्रॉस सितारों का वह समूह है जिसे हम दक्षिणी आकाश में देखते हैं

ऑस्ट्रेलिया का आदिम ध्वज

ऑस्ट्रेलिया का आदिम ध्वज काले, लाल और पीले रंग का है।

- ऊपरी आधा हिस्सा काला है और यह ऑस्ट्रेलिया का आदिम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.
- निचला आधा हिस्सा लाल है जोकि धरती का प्रतिनिधित्व करत है, जिसका औपचारिक महत्व है।
- पीला वृत्त सूर्य का सूचक है.

टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासी ध्वज

टॉरस स्टट्रे द्वीपवासी ध्वज हरे, नील, काले और सफदे रंग का हैं.

- हरी पट्टियां धरती की सूचक हैं.
- केन्द्र में बना नीला पैनल समुद्र का सूचक है.
- काली धारियां टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासियों का प्रतिनिधित्व करती हैं.
- बीच में बने सफेद नर्तक की सिर पर पहनी हुई पोशाक टॉरस स्ट्रेट के सभी द्वीपवासियों की संकेतक है.
- सफेद तारे के बिंदु टोरस स्ट्रेट में द्वीप समूहों को दर्शाते हैं, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है।

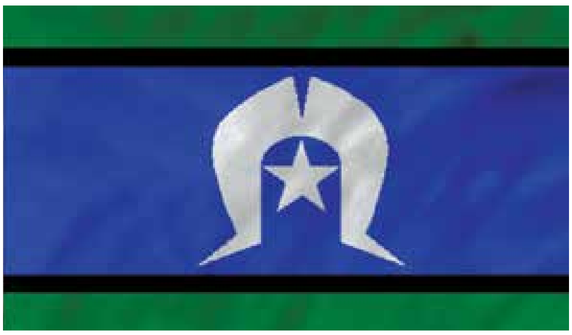

ऑस्ट्रेलिया के चिह

कॉमनवेल्थ राजचिह्न

कॉमनवेल्थ का राजचिहन् ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमडंल का राजकीय प्रतीक हैं. यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता हैं. यह ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमडंल के प्राधिकार और सम्पति का परिचायक हैं.

- केन्द्र में बनी शील्ड (ढाल) छः राज्यों और उनके परिसंघ का प्रतिनिधित्व करती हैं.
- एक कंगारू और एक इमू शील्ड को दोनों ओर सहारा दिए हुए हैं। दोनों ऑस्ट्रेलिया के देसी जानवर हैं।
- शील्ड के ऊपर एक सोने का कॉमनवेल्थ सितारा बना हुआ हैं.
- पृष्ठभूमि में सुन हला वटैल हैं, जोकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प हैं.

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प सुन हला वटैल हैं। यह छोटा-सा पौधा मुख्यतः दक्षिण-पवूी ऑस्ट्रेलिया में उगता हैं. इसकी चमकदार हरी पत्तियां होती हैं. तथा वसन्त-ऋतु में इस पर अनके सुन हले फलू खिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के हर राज्य और प्रदेश के भी अपने अपने पुष्प-चिन्ह हैं.

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय रंग

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय रंग हैं हरा और सुनहला - अथार्त वटैल फलू के रंग. हमारे राष्ट्रीय खेल की पोशाक आम-तौर पर हरे और सुन हले रंग की होती हैं.

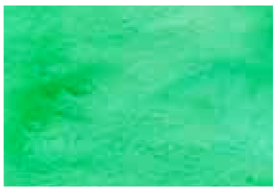

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय रत्न

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय रत्न ओपल हैं एक आदिम कथा के अनुसार, इन्द्रधनुष ने धरती को छुआ और ओपल का रंग बन गया.

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान

'ऐडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर' (ऑस्ट्रेलिया, तेरा सुविकास हो) ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है. इसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता समारोहों और खेलकूद के खास आयोजनों सहित राष्ट्रीय महत्ता के अवसरों पर गाया जाता है.

Advance Australia Fair

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We've golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature's gifts
Of beauty rich and rare;
In history's page, let every stage
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross
We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

भाग दूसरा

ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताएं, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं

ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताएं, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं

नागरिकता समारोह में आप इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताओं में साझेदार हैं तथा आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करते हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक विचारधाराओं और ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा सांझे किए जाने वाले अधिकारों और स्वतंत्रताओं को समझते हैं।

पुस्तिका का यह भाग इन विचारधाराओं, अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सूचीबद्ध करता है। और अधिक जानकारी के लिए *भाग 4, ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ* देखें।

हमारी लोकतांत्रिक विचारधाराएँ

संसदीय लोकतंत्र

ऑस्ट्रेलिया में संसदीय लोकतंत्र पर आधारित शासन-प्रणाली है. इस प्रणाली के भाग के तौर पर, सरकार की शक्ति ऑस्ट्रेलिया की जनता में निहित है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग संसद में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए निरन्तर मतदान करते हैं. संसदीय लोकतंत्र में सांसद अपने निर्णयों के लिए मतदान के जरिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं.

कानून का नियम

कानून के अधीन सभी ऑस्ट्रेलियाई समान हैं। कानून के नियम का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून के शासन से ऊपर नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में ताकत के पद के धारक लोगों सहित सभी लोगों को ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। इसमें सरकार, समुदाय और धार्मिक नेता, साथ ही व्यापारी और पुलिस वर्ग शामिल हैं।

शांतिपूर्ण जीवन

ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एक स्थिर शासन-प्रणाली के साथ एक शांतिपूर्ण समाज में रहने का गर्व है. ऑस्ट्रेलियाई लोगों को विश्वास है कि कोई भी परिवर्तन विचार-विमर्श, शांतिपूर्ण दलील एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए. हम लोगों के विचार या कानून बदलने के लिए हम हिंसात्मक तरीकों का निषेध करते हैं.

सभी लोगों के लिए आदर-भावना, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हों

ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, उसे ऑस्ट्रेलियाई कानून के अधीन अधिकार और समानता प्राप्त है। हम अपेक्षा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग एक-दूसरे के साथ आदर-सम्मान के साथ पेश आएं, चाहे वे किसी भी नस्ल, राष्ट्रीय मूल, लिंग, यौन अभिरुचि, वैवाहिक अब स्थिति, आयु, विकलांगता, विरासत, संस्कृति, राजनीति, सम्पदा या धर्म से सम्बंधित हों.

हमारी स्वतंत्रताएँ

कथन की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

बोलने की स्वतंत्रता एक अहम ऑस्ट्रेलियाई मान्यता है और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को आधार देती है। कथन की स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोग जो सोचते हैं वह वे कह और लिख सकते हैं, और दूसरों के साथ अपने विचारों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि, लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के फैसलों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सकते हैं और कानून बदलने के लिए अभियान चला सकते हैं, बशर्ते कि हर समय वे ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का पालन करते हों।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कला, फिल्म, संगीत और साहित्य के द्वारा ऐसा करना शामिल है। लोग सामाजिक या राजनैतिक चर्चा के लिए सरकारी या गैर-सरकारी स्थानों पर मिलने के लिए स्वतंत्र हैं।

हर समय, कथल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाग लेते समय भी, ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का अनुपालन किया जाना चाहिए। हमें दूसरों के कथन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए।

संघ बनाने की स्वतंत्रता

संघ बनाने की स्वतंत्रता सामान्य लक्ष्य हासिल करने के लिए संघ बनाना और इसमें शामिल होने का अधिकार है। जैसे कि, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को यह स्वतंत्रता है कि वे किसी भी कानूनी संस्था से जुड़ें, जैसे कि राजनैतिक दल, ट्रेड युनियन, धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक समूह। लोग इनसे न जुड़ने का फैसला भी ले सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई लोग सरकार द्वारा उठाए किसी कदम या संस्था का विरोध करने के लिए अन्य लोगों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। हर समय, परन्तु, ऑस्ट्रेलियाई के कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि ऐसा एकत्रण शांतिपूर्ण होना चाहिए, और इससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।

धर्म की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलिया की जुडेओ-ईसाई विरासत है, और कई ऑस्ट्रेलियाई स्वयं को ईसाई बताते हैं, परन्तु ऑस्ट्रेलिया में सभी बड़े धर्मों के लोग रहते हैं। गुड फ्रायडे, ईस्टर संडे और क्रिसमस डे जैसे ईसाई दिनों पर ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक अवकाश रहता है।

सरकार और कानून सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव करते हैं, चाहे उनका धर्म या विचारधारा कैसी भी हो। ऑस्ट्रेलिया की सरकार धर्म-निरपेक्ष है, जिसका यह अर्थ है कि यह चर्च या किसी धार्मिक निकायों से अलग संचालन करती है। ऑस्ट्रेलिया का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। हो सकता है कि वे किसी धर्म का पालन न करने का चयन करें।

पर हर समय, धार्मिक अभ्यासों में भाग लेते समय भी, ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। यदि ऑस्ट्रेलियाई कानून और किसी धार्मिक अभ्यास में विवाद हो, तो ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रबल होता है।

हमारी समानताएं

ऑस्ट्रेलिया में कई कानून हैं जो यह निश्चित करते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ उसके स्त्री या पुरुष होने, उसकी प्रजाति, विकलागंता या आयु के आधार पर कोई भदेभाव न किया जाए.

लैंगिक समानता

स्त्री-पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी है।

अवसर की समानता और 'समार अवसर की उपलब्धता'

ऑस्ट्रेलियाई लोग हमारे समाज में समान अवसर को मान्यता देते हैं; जिसे अक्सर 'समान अवसर की उपलब्धता' कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा जीवन में उपलब्ध की जाने वाली चीज़ उसकी प्रतिभा, काम और कोशिश के कारण होनी चाहिए, न कि उनकी अमीरी या पृष्ठभूमि के कारण। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऑस्ट्रेलियाई समाज में कोई औपचारिक वर्ग समूह न हों।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के दायित्व और अधिकार

जब आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनते हैं, तो आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और विशेषाधिकार होंगे।

जिम्मेदारियाँ - आप ऑस्ट्रेलिया को क्या दोगे।

एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप:

- ऑस्ट्रेलिया के कानून का अनुपालन करें
- संघीय तथा राज्य या प्रदेश के चुनावों तथा रेफरेंडम में मत दें
- जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करें
- आग्रह किए जाने पर ज़्यूरी (पंच) के रूप में भूमिका निभाएँ

विशेषाधिकार - ऑस्ट्रेलिया आपको क्या देगा

एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में आप निम्नलिखित कर सकते/सकती हैं:

- संघीय तथा राज्य या प्रदेश के चुनावों तथा रेफरेंडम में मत दें
- विदेश में जन्में बच्चों को वंशाधिकार के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में दर्ज कराना
- ऑस्ट्रेलिया की लोकसेवा या ऑस्ट्रेलियाई प्रतिरक्षा सेना में काम करने के लिए आवेदन देने का
- संसद के लिए चुनाव लड़ना
- ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के लिए आवेदन देना एवं ऑस्ट्रेलिया में निर्बाध रूप से पुनः प्रवेश करना
- विदेश में रहते हुए ऑस्ट्रेलियाई पदाधिकारी से मदद पाना

उत्तरदायित्व

ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का अनुपालन करना

सरकार में हमारे प्रतिनिधि एक सुव्यवस्थित, स्वतंत्र एवं सुरक्षित समाज एवं हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाते हैं. सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और ऑस्ट्रेलिया में अन्य लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि वे ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का अनुपालन करें।

ऑस्ट्रेलिया के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी *भाग3, ऑस्ट्रेलिया में सरकार एवं कानून* के अंतर्गत उपलब्ध है.

संघीय तथा राज्य या प्रदेश के चुनावों तथा रेफरेंडम में मत देना

18 साल या उससे अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए चुनाव में मत देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अधिकार और विशेषाधिकार है।

18 साल या इससे अधिक की आयु वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे फेडरल और राज्य या टेरेटरी के चुनावों और रेफरेंडम में में मतदना करें, यह मतदान ऑस्ट्रेलियाई संविधान को बदलने के लिए होने वाला मतदान होता है। ऐसा करके, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इसमें विचार प्रकट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का शासन कैसे किया जाए और इसके भविष्य में वे योगदान देते हैं।

फेडरल और राज्य या टेरेटरी चुनावों में मतदान करना अनिवार्य है। कुछ राज्यों में स्थानीय सरकार के चुनावों में मत देना अनिवार्य नहीं हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में और अधिक जानकारी *भाग3, ऑस्ट्रेलिया में सरकार एवं कानून* के अंतर्गत उपलब्ध है.

जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करना

हालांकि ऑस्ट्रेलिया की प्रतिरक्षा सेना में काम करना स्वैच्छिक है, किन्तु जरूरत पड़ने पर यह अत्यावश्यक है कि ऑस्ट्रेलिया के सभी नागरिक ऑस्ट्रेलिया की रक्षा के लिए एकजुट हों. यह अहम है कि यदि ज़रुरी हो तो सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग राष्ट्र और इसकी जीवनशैली की सुरक्षा करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रतिबद्ध हों।

आग्रह किए जाने पर ज़्यूरी (पंच) के रूप में भूमिका निभाना

निवेदन किए जाने पर ज्यूरी सेवा 18 साल या उससे अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए एक दायित्व है. ज्यूरी का मतलब है साधारण ऑस्ट्रेलियाई स्त्री-पुरुषों का एक समूह, जो किसी न्यायालयीन मुकदमे में गवाहियां सुनते हैं और किसी व्यक्ति के निर्दोष या अपराधी होने का फैसला करते हैं.

निर्वाचन सूची में दर्ज किसी भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ज्यूरी के रूप में सेवा देने के लिए बुलाया जा सकता है. ज्यूरी सेवा से यह सुनिश्चित होता है कि न्याय-प्रणाली खुली और निष्पक्ष बनी रहे.

विशेषाधिकार

ऑस्ट्रेलिया की लोकसेवा या ऑस्ट्रेलियाई प्रतिरक्षा सेना में काम करने के लिए आवेदन देना

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता का एक विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलियाई सरकारी सेवा में नौकरी के लिए आवेदन करना है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए काम करना है, जैसे कि Services Australia या ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय में।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिरक्षा सेना (थल, जल एवं वायु सेना) में भी नौकरी के लिए आवेदन देने का अधिकार है.

संसद के लिए चुनाव लड़ना

18 साल या इससे अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जिनके पास दोहरी नागरिकता न हो, वे संघीय, राज्य या प्रदेश स्तर पर संसदीय चुनाव लडने के लिए प्रत्याशी बन सकते है. ऑस्ट्रेलिया की संसद में काम करना एक प्रतिष्ठाजनक बात होने के साथ-साथ एक गंभीर दायित्व भी है.

ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के लिए आवेदन देना एवं ऑस्ट्रेलिया में निर्बाध रूप से पुनः प्रवेश करना

जब आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनते हैं, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र रुप से रहने का अधिकार है। आपके पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का विशेषाधिकार भी है। यदि आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रुप में विदेश यात्रा करते/करती हैं, तो आप बिना वीज़ा की ज़रुरत के ऑस्ट्रेलिया वापिस आने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेश में रहते हुए ऑस्ट्रेलियाई पदाधिकारी से मदद पाना

कई देशों में ऑस्ट्रेलिया का दूतावास, उच्चायोग या कौन्स्युलेट होता है. जब आप विदेश में हों तो जरूरत पड़ने पर आप किसी पदाधिकारी से मदद मांग सकते हैं. इसके अंतर्गत नागरिक आन्दोलन या प्राकृतिक संकट जैसी आकस्मिक बातें भी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी आपातकालीन पासपोर्ट की समस्या में विदेश में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मदद भी कर सकते हैं, और दुर्घटना, गंभीर रोग या मृत्यु की स्थिति में सलाह और समर्थन दे सकते हैं।

जब आप किसी अन्य देश में हों तो आपको उस देश के कानूनों का पालन करना चाहिए.

विदेश में जन्में बच्चों को वंशाधिकार के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में दर्ज कराना

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक विदेश में जन्में अपने बच्चों को वंशाधिकार के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में दर्ज कराने का आवेदन कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के समाज में भागीदारी

ऑस्ट्रेलिया सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करता है कि वे समाज में सक्रिय तौर पर भाग लें। सक्रिय नागरिक ऑस्ट्रेलिया के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी और विशेषाधिकार लेते हैं। आप पडोसी एवं स्थानीय समुदायों में शामिल हो सकते है आप सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों में स्वयंसेवा दे सकते है आप किसी कला या संस्कृति से जुड़े संगठन में भाग ले सकते है आप राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय भागीदारी कर सकते है.

ऑस्ट्रेलिया के समुदाय में अपना प्रत्यक्ष योगदान देने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका कर का भुगतान करना है, और ऐसा करना कानूनन अनिवार्य है। आपके द्वारा की कमाई से कर का भुगतान किया जाता है, चाहे यह कमाई नौकरी से हो, व्यापार या निवेश से हो, और इसे ATO द्वारा संग्रहित किया जाता है। माल और सेवाओं पर भी कर लागू हैं। ATO यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी नागरिक कर से जुड़े अपने अधिकारों एवं सही-सही कर चुकाने के अपने अनिवार्य कर्तव्य को समझें.

ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा उठाए जाने वाले कई लाभ कर द्वारा संभव हैं। कर का खर्च सरकार द्वारा वित्त-पोषित स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा, रक्षाबल, सड़क व रेल, और सोशल सिक्योरिटी जैसी सेवाएँ पर किया जाता है।

काम करके और कर का भुगतान करके, आप ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को इन महत्वपूर्ण सेवाओं प्रदान करने में सरकार का समर्थन करते हैं। राज्य व टेरेटरी की सरकारें और स्थानीय काउंसिलें भी सेवाओं का भुगतान करने के लिए कर एकत्रित करती हैं। ये सेवाएँ ऑस्ट्रेलिया को शांतिपूर्ण और संपन्न देश बनाने में मदद देती हैं, जैसा कि यह राष्ट्र वर्तमान में है।

भाग तीन

सरकार और ऑस्ट्रेलिया में कानून

सरकार और ऑस्ट्रेलिया में कानून

नागरिकता समारोह के दौरान आप यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के कानून को समर्थन देंगे और उनका पालन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय लोकतंत्र पर आधारित शासन-प्रणाली है। आपको यह समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की शासन-प्रणाली है, हमारे संसदीय लोकतंत्र में कानून कैसे बनते हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है। यह समझना भी जरूरी है कि एक नागरिक के रूप में आप कैसे अपने मतानुसार देश का शासन चला सकते हैं।

मैं अपने विचार कैसे प्रकट करूँ?

मतदान

जैसा कि भाग 2 में दर्शाया गया है, 18 साल या इससे अधिक की आयु वाले नागरिकों के लिए यह ज़रुरी है कि फेडरल, राज्य और टेरेटरी चुनावों और संविधानिक परिवर्तन के रेफरेंडम में मतदान करने के लिए वे नामांकन कराएँ।

ऑस्ट्रेलिया के संसदीय लोकतंत्र में, नागरिकों के पास यह अधिकार है कि वे संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को मतदान करके इसपर अपने विचार दें कि ऑस्ट्रेलिया का शासन कैसे हो। यदि आपका नामांकन सही ढंग से नहीं किया गया है, तो आप चुनाव में मतदान करने में सक्षम नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलियाई चुनावों में मतदान अनिवार्य है, या यदि संविधानिक परिवर्तन में रेफरेंडम होते हैं तो भी यह अनिवार्य है।

Australian Electoral Commission (AEC) एक राष्ट्रमंडल एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी फेडरल चुनाव और रेफरेंडम का आयोजन करना और कॉमनवेल्थ निर्वाचक नामावली को बनाए रखना है। AEC सरकार से स्वतंत्र है। राजनैतिक दल या सरकार में शामिल लोग AEC के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में, चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, इसलिए आप किसी भी उम्मीदवार को मतदान करने के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। किसी को भी यह जानने का अधिकार नहीं है कि आपने किसे मतदान किया है, बशर्ते कि आप उन्हें बताने का फैसला लें। यदि आप किसी चुनाव में मत न दें या आपके पास मत न देने का कोई समुचित कारण न हो, तो आपको जुर्माना देना होगा। अनिवार्य मतदान यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि हम जिन लोगों को चुनते हैं, वे वास्तव में लोक बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हों।

अपने प्रतिनिधि के समक्ष मुद्दे उठाना

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सरकारी नीति के बारे में अपनी चिंताएँ प्रकट करने के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह सामान्य ऑस्ट्रेलियाई लोग भी कानून एवं सरकार की नीतियों के निर्धारण में अपनी बात चला सकते हैं। यदि कोई नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को यह बताता है कि कानून को बदलने की ज़रुरत है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके सुझाव पर ग़ौर करना चाहिए।

हमारी शासन-प्रणाली किस प्रकार स्थापित होती है?

परिसंघ

ब्रिटिश उपनिवेश के बाद और 1901 से पहले ऑस्ट्रेलिया छः अलग-अलग स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों (कॉलनियों) से मिलकर बना हुआ था।

हर उपनिवेश का अपना अलग संविधान एवं प्रतिरक्षा, आव्रजन (इमिग्रेशन), डाक-व्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन सम्बंधी अपने-अपने नियम थे। परन्तु, इससे कोलोनियों के बीच कठिनाईयाँ आई। जैसे कि, कोलोनियों के बीच व्यापार और परिवहन महंगा और धीमा था, और सीमा पार कानून लागू करना कठिन था। अलग-अलग कोलोनियों की रक्षा प्रणालियाँ भी कमज़ोर थी।

इसके फलस्वरुप, लोग चाहते थे कि कोलोनियाँ मिलकर एक राष्ट्र बनें। अधिक महत्वपूर्ण तौर पर, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पहचान के प्रारुप लेना शुरु कर लिया था। खेलकूद की टीमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी और ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति लोकप्रिय गानों, कविताओं, कहानियों और कला में विकसित हो रही थी।

देश का एकाकीकरण करना एक कठिन काम था, लेकिन समय गुजरते-गुजरते एक ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र का सपना साकार हो गया। 1 जनवरी 1901 को, इन उपनिवेशों या कॉलोनियों को मिलाकर एक राज्यसंघ बना दिया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल संविधान अधिनियम 1900 (The Commonwealth of Australia Constitution Act 1900) वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए आधारभूत नियम तय किए गए हैं मूल रूप से, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1900 में ब्रिटिश संसद अधिनियम के एक अंग के रूप में पारित किया गया था। 1 जनवरी 1901 को, जबकि संविधान प्रभावी हुआ, ऑस्ट्रेलिया के सभी उपनिवेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए - ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल की संसद की स्थापना की गई, जिसमें एक प्रतिनिधि सभा/लोक सभा (House of Representatives) तथा एक सीनेट होता है संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया केउच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया के कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें प्रयुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

ऑस्ट्रेलिया के लोग रेफरेंडम में मतदान करके ऑस्ट्रेलियाई संविधान को बदल सकते हैं, जैसे कि 1967 का रेफरेंडम जहाँ 90 प्रतिशत से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने आदिवासी लोगों को जनसंख्या में शामिल किए जाने के लिए 'हाँ' में मतदान किया था।

रेफरेंडम में ऑस्ट्रेलिया के संविधान में परिवर्तन लाने हेतु 'दुहरे बहुमत' की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश राज्यों के अधिकांश मतदाता तथा पूरे देश के अधिकांश मतदाता उस परिवर्तन के पक्ष में मत दें।

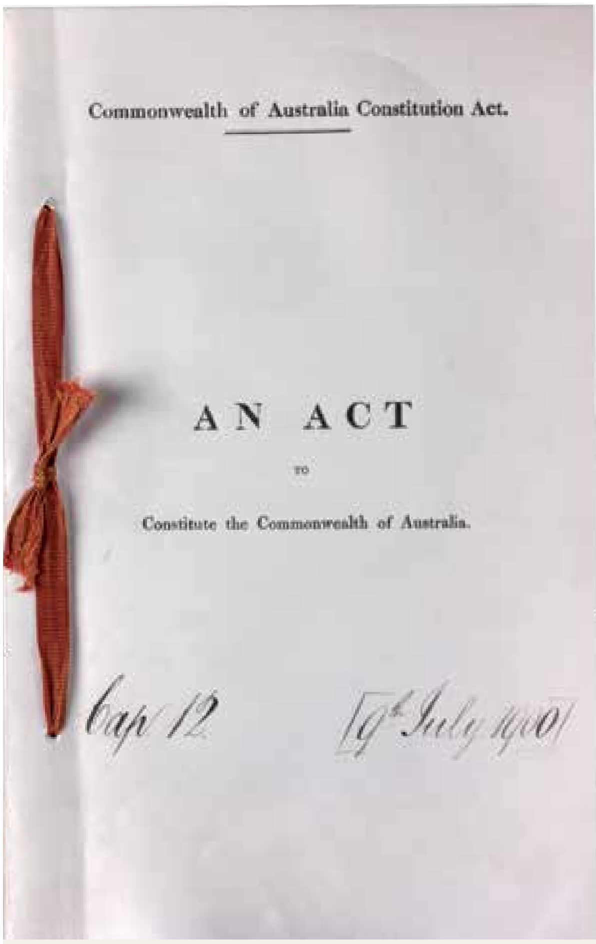

ऑस्ट्रेलियाई संविधान

सरकार की शक्ति कैसे नियंत्रित होती है?

ऑस्ट्रेलियाई संविधान वैधानिक (संसदीय), कार्यपालिका (जैसे कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट) और न्यायिक अधिकार (जज) के बीच सरकार के अधिकार विभाजित करती है, ताकि किसी एक व्यक्ति या एक समूह को सारे अधिकार मिलने से रोका जा सके।

विधायिका की शक्ति

विधायिका की शक्ति में कानून बनाने की शक्ति शामिल है। संसद के पास ऑस्ट्रेलिया में कानून बनाने और बद्लने का अधिकार है। संसद में वे प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के लोगों के चुना होता है।

कार्यपालिका की शक्ति

कार्यपालिका की शक्ति का अर्थ है कानून को कार्यान्वित करना। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मंत्री तथा गवर्नर-जनरल आते हैं। हर मंत्री सरकारी विभागों के लिए उत्तरदायी होता है।

न्यायपालिका की शक्ति

कानून की व्याख्या करने और उन्हें व्यवहारिक रूप देने का न्यायिक अधिकार जजों के पास है। न्यायालय एवं जज संसद और सरकार से स्वतंत्र होते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान में इन शक्तियों का लिखित उल्लेख है।

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष कौन है?

ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया की महारानी, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की सलाह पर महारानी ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर-जनरल की नियुक्ति करती हैं। गवर्नर-जनरल सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करता है। रानी की सरकार के दैनिक कामों में भूमिका नहीं है।

प्रत्येक राज्य में भी एक गवर्नर होता है जो महारानी का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका काम गवर्नर-जनरल की तरह ही होता है।

संवैधानिक राजतंत्र

ऑस्ट्रेलिया एक संवैधानिक राजतंत्र है। जिसका अर्थ है कि रानी ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्राध्यक्ष है। किन्तु उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। क्योंकि रानी ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहती है, इसलिए उनके अधिकार ऑस्ट्रेलिया में गर्वनर-जनरल को सौंपे जाते हैं।

संसदीय लोकतंत्र की ऑस्ट्रेलियाई प्रणाली ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की परंपराओं को एक ऐसे तरीके से संयोजित करके दर्शाते हैं जो विशिष्ट रुप से ऑस्ट्रेलियाई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रणाली में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार का नेता प्रधानमंत्री होता है।

महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय

गवर्नर-जनरल की भूमिका

गर्वनर-जनरल सरकार का भाग नहीं होता है और उसे निष्पक्ष रहना चाहिए।

गवर्नर-जनरल की भूमिका में शामिल है:

- ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा कानून के रूप में पारित सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना (इसे 'राज सहमति' कहते हैं)
- रस्मी (औपचारिक) कर्तव्य निभाना
- ऑस्ट्रेलिया की सरकार और इसके मंत्रियों, संघीय जजों एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना
- फेडरल चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरु करना
- ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के कमांडर-इन-चीफ के तौर पर काम करना

गवर्नर-जनरल के पास विशेष शक्तियां भी होती हैं जिन्हें 'आरक्षित शक्तियां' कहा जाता है। इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के कुछ नेता कौन-कौन से हैं?

राष्ट्राध्यक्ष
ऑस्ट्रेलिया की महारानी

गवर्नर-जनरल
ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि

गवर्नर
प्रत्येक राज्य में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष के प्रतिनिधि

प्रधानमंत्री
ऑस्ट्रेलिया की सरकार का नेता

प्रीमियर
राज्य सरकार का नेता

मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार का मंत्री

सरकारी मंत्री
सरकार के नेता द्वारा चुना गया संसद का सदस्य जो सरकार के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हो

संसद का सदस्य (MP)
ऑस्ट्रेलियाई संसद या राज्य संसद में ऑस्ट्रेलियाई लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि

सीनेटर
ऑस्ट्रेलियाई संसद में राज्य या टेरेटरी का निर्वाचित प्रतिनिधि

मेयर या शॉयर प्रधान
स्थानीय सरकार का नेता

काउंसलर
स्थानीय काउंसिल का निर्वाचित सदस्य

ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है?

ऑस्ट्रेलिया की सरकार

ऑस्ट्रेलिया की सरकार को संघीय सरकार या राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) सरकार भी कहा जाता है। सरकार ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्यों से बनती है, जिसके दो हाउस होते हैं:

- प्रतिनिधि सभा/लोक सभा
- सीनेट

फेडरल चुनाव में, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए मतदान करते हैं।

प्रतिनिधि सभा/लोक सभा

लोक सभा ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदनों में से एक सदन है। प्रतिनिधि सभा को कई बार निचला सदन या लोक सभा भी कहा जाता है।

ऑस्ट्रेलिया फेडरल निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित है। संसद के सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रत्येक राज्य और प्रदेश के लिए संसद सदस्यों की संख्या उसकी आबादी पर निर्भर करती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग लोक सभा के लिए कुल 150 सदस्य चुनते हैं। कुल मिलाकर, 150 से अधिक सदस्य लोक सभा में निर्वाचित होते हैं।

संसद के सदस्य और सीनेटर ऑस्ट्रेलियाई संसद में नए कानूनों के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। प्रतिनिधि सभा या लोक सभा का महत्वपूर्ण कार्य नए कानूनों या कानूनों में परिवर्तन सम्बंधी प्रस्तावों पर विचार, चर्चा एवं मतदान करना है, और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करना है।

प्रतिनिधि सभा/लोक सभा

सीनेट

सीनेट ऑस्ट्रेलियाई संसद में अन्य सदन है। सीनेट को कई बार ऊपरी सदन, समीक्षा सदन या राज्य सभा भी कहा जाता है। प्रत्येक राज्य के मतदाता सीनेट में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सीनेटरों का चयन करते हैं। सीनेट में सभी राज्यों को बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, चाहे उनकी आबादी कुछ भी क्यों न हो। कुल मिलाकर 76 सीनेटर होते हैं। प्रत्येक राज्य 12 सीनेटर चुनता है, और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरेटरी और नॉर्दर्न टेरेटरी में दो-दो सीनेटर चुने जाते हैं।

सीनेटर नए कानूनों या कानूनों में परिवर्तन सम्बंधी प्रस्तावों पर विचार, चर्चा एवं मतदान करते हैं तथा वे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा भी करते हैं।

सीनेट

राज्य एवं प्रादेशिक सरकार

ऑस्ट्रेलिया में छ राज्य एवं दो मुख्य भूभागीय प्रदेश हैं। हर राज्य की अपनी-अपनी संसद और अलग-अलग संविधान है राज्य और टेरेटरी की सरकारें अपने-अपनी राजधानी नगरों में स्थित हैं। राज्य सरकार के नेता को प्रीमियर एवं प्रादेशिक सरकार के नेता को मुख्यमंत्री कहा जाता है।

राज्य सरकारें भी ठीक ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरह ही काम करती हैं। प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होता है जो ऑस्ट्रेलिया की महारानी का प्रतिनिधित्व करता है। नौर्दर्न टेरीटरी (उत्तरी प्रदेश) में गवर्नर-जनरल द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। प्रशासक की भूमिका और जिम्मेदारियां वही होती हैं जो किसी राज्य के गवर्नर की होती है।

राज्यों के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार हैं जबकि टेरेटरियों के ऐसे अधिकार नहीं हैं। राज्यों के पास अपने आप से कानून पारित करने के अधिकार हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा किसी भी समय स्वत-प्रशासित टेरेटरी कानून संशोधित किए या वापिस लिए जा सकते हैं।

राज्य और टेरेटरी के चुनावों में, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अपने क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए मतदान करते हैं। ये प्रतिनिधि प्रासंगिक राज्य या टेरेटरी संसद के सदस्य बनते हैं।

स्थानीय सरकार

राज्य एवं नौर्दर्न टेरीटरी (उत्तरी प्रदेश) स्थानीय प्रशासन क्षेत्रों में बंटे हुए हैं। इन्हें शहर, शायर, नगर या नगरपालिका कहा जा सकता है। हर क्षेत्र का अपना एक लोकल कौंसिल होता है ये कौंसिल अपने स्थानीय समुदाय के नियोजन एवं सेवा-प्रदाय के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक अपने स्थानीय कौंसेलरों का चुनाव करने के लिए मत देते हैं।

यह तीन-स्तरीय सरकार क्या करती है?

सरकार के तीन स्तरों के बीच मुख्य अंतर यह है कि हालाँकि कुछ जिम्मेदारियाँ समान हो सकती हैं, सामान्यत: सरकार का प्रत्येक स्तर अलग-अलग सेवाएँ प्रदान करता है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार निम्नांकित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

कर निर्धारण

राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन

आव्रजन एवं नागरिकता

रोज़गार सहायता

डाक सेवा एवं संचार नेटवर्क

सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन एवं परिवार सहायता)

प्रतिरक्षा

व्यापार एवं कॉमर्स

एयरपोर्ट एवं हवाई सुरक्षा

विदेशी मामले (अन्य देशों के साथ सम्बन्ध)।

राज्य एवं राज्य-क्षेत्रों की सरकारें मुख्यत: निम्नांकित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं:

अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं

स्कूल

सड़क और रेलवे

वन

पुलिस और ऐम्बुलेंस सेवाएँ

लोक परिवहन।

स्थानीय सरकारें (और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र सरकार) निम्नांकित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं:

स्ट्रीट संकेत, यातायात नियंत्रण

स्थानीय सड़कें, फुटपाथ एवं पुल

नालियां

पार्क, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, खेल के मैदान

कैम्पिंग ग्राउंड एवं कारवां पार्क

खाद्य एवं मांस निरीक्षण

शोर एवं जानवरों पर नियंत्रण

कचरा-संग्रह

स्थानीय पुस्तकालय, हॉल एवं सामुदायिक केन्द्र

बच्चों तथा वयोवृद्ध लोगों की देख-रेख के कुछ मुद्दे

भवन परमिट

सामाजिक नियोजन

स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दे।

ऑस्ट्रेलिया की शासन-पद्धति में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है?

कोई भी राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो देश की शासन-पद्धति के बारे में समान विचारधारा रखते हैं। वे अपनी पार्टी के विचारों को कानूनों में बदलने के लिए मिलजुल कर काम करते है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य राजनीतिक दल हैं: ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दि नेशनल्स तथा दि ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स।

ज्यादातर संसद सदस्य राजनीतिक दलों से वास्ता रखते हैं। कुछ संसद सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से सम्बंध नहीं रखते। उन्हें 'स्वतंत्र या निर्दलीय' कहा जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चाहें तो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार का गठन कैसे किया जाता है?

फेडरल चुनाव के बाद, प्रतिनिधि सभा/लोक सभा में बहुमत पाने वाला राजनीतिक दल या मिले-जुले राजनीतिक दल ऑस्ट्रेलिया की सरकार बनाते हैं। इस पार्टी का नेता ऑस्ट्रेलिया की सरकार का नेता अर्थात प्रधानमंत्री बनता है।

फेडरल चुनाव के बाद, प्रतिनिधि सभा/लोक सभा में दूसरे नम्बर पर बहुमत पाने वाला राजनीतिक दल या मिले-जुले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहा जाता है। इसके नेता को विपक्ष का नेता कहा जाता है।

प्रधानमंत्री लोक सभा या सीनेटर के सदस्यों को ऑस्ट्रेलिया की सरकार में मंत्री बनने की सिफारिश करते हैं। गर्वनर-जनरल प्रधानमंत्री और मंत्रीगणों की नियुक्ति को स्वीकृति देते हैं।

सरकार के मंत्री सरकार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों (पोर्टफोलियो) के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसेः रोजगार, स्वदेशी मामले या कोष (ट्रेज़री)। सबसे वरिष्ठ पोर्टफोलियो वाले मंत्रियों को लेकर कैबिनेट बनाया जाता है जोकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की प्रमुख निर्णायक संस्था होती है।

कानून कैसे बनाए जाते हैं?

ऑस्ट्रेलिया की संसद को राष्ट्र के कल्याण के लिए कानूनों की रचना तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार है।

यदि ऑस्ट्रेलिया की संसद का निर्वाचित सदस्य नए कानून को लाने या किसी मौजूदा कानून में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पेश करता है. इस प्रस्ताव को 'बिल' कहा जाता है।

लोकसभा एवं सीनेट इस बात पर विचार, चर्चा और मतदान करते हैं कि वे किसी विधेयक से सहमत हैं या नहीं।

यदि संसद के प्रत्येक सदन में सदस्यों का बहुमत उस बिल से सहमत होता है तो उसे गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया जाता है।

जब गवर्नर-जनरल विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। इसे 'राज सहमति' कहते हैं.

इसी तरह से राज्य एवं प्रदेश की संसदों द्वारा भी अपने-अपने कानून बनाए जाते हैं।

कानून कैसे लागू किए जाते हैं?

न्यायालय

ऑस्ट्रेलिया में न्यायालय स्वतंत्र हैं। न्यायालय यह फैसला लेगा कि क्या किसी व्यक्ति ने कानून की अवहेलना की है अथवा नहीं और वह दण्ड का फैसला लेगा। न्यायालय अपना फैसला उनके समक्ष रखे प्रमाण के आधार पर ही कर सकता है।

जज एवं मजिस्ट्रेट

जज अथवा मजिस्ट्रेट न्यायालय के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। वे स्वतंत्र होते हैं और कोई भी उनके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकता है।

जज एवं मजिस्ट्रेट सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किन्तु यदि सरकार उनके निर्णयों से सहमत न हो तो वह उनको पदच्युत नहीं कर सकती है।

ज़्यूरी (पंच)

ऑस्ट्रेलिया की न्यायालय प्रणाली में, जबतक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी न ठहरा दिया जाए, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि न्यायालय में कोई वकील उसका प्रतिनिधित्व करे।

कुछ मामलों में इस बात का फैसला करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने कानून की अवहेलना की है अथवा नहीं, न्यायालय ज़्यूरी (पंच) की सेवाएं ले सकता है। ज़्यूरी की भूमिका न्यायालय में यह फैसला लेना है कि क्या व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। ज्यूरी साधारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों का वह दल होता है जिन्हें सर्वसामान्य लोगों के बीच से रैंडम तरीके से चुना जाता है। जज ज्यूरी को कानून के बारे में समझा देता है। आपराधिक मुकदमों में यदि ज्यूरी किसी व्यक्ति को दोषी मानती है, तो दंड का निर्णय जज द्वारा लिया जाता है।

पुलिस

ऑस्ट्रेलिया में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने का काम पुलिस करती है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना उनका काम है। वे सरकार से स्वतंत्र होते हैं। यदि पुलिस को ऐसा लगे है कि किसी ने कानून की अवहेलना की है, तो वह उसे हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है। पुलिस न्यायालय में अपने सबूत पेश कर सकती है, किन्तु व्यक्ति दोषी है या निर्दोष यह फैसला अदालत ही करेगी।

राज्यों एवं नॉर्दर्न टेरिटरी (उत्तरी प्रदेश) के पास अपने पुलिस बल हैं। वे राज्य और प्रदेश के कानून के दायरे में अपराधों पर कार्यवाही करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में एक राष्ट्रीय पुलिस बल भी है जिसे ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) कहते हैं। AFP संघीय कानूनों के खिलाफ किए गए अपराधों की छानबीन करती है। उदाहरण के लिए, नशीली दवाओं की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पर्यावरण के विरूद्ध किए गए अपराध। AFP ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में सामान्य पुलिस कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है।

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और समुदाय के बीच बहुत अच्छा सम्बंध है। आप स्थानीय पुलिस को अपराधों की सूचना दे सकते हैं और उनसे सहायता मांग सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में, किसी पुलिस अधिकारी को रिश्वत देना एक गंभीर अपराध है। किसी पुलिस अधिकारी को रिश्वत की पेशकश करना भी अपराध है।

ऑस्ट्रेलिया में अपराध

ऑस्ट्रेलिया के कानूनों से सुपरिचित होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई ऐसा ऑस्ट्रेलियाई कानून तोड़ते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि कानून न जानना कोई बहाना नहीं है।

कुछ अत्यंत गंभीर किस्म के अपराधों में शामिल हैं : हत्या, हमला, यौन आक्रमण, जान-माल के प्रति हिंसा, सशस्त्र डकैती या चोरी, बच्चों या सहमति की कानूनी उम्र से कम उम्र के किशोरों से यौन-सम्बंध, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, गैर-कानूनी मादक पदार्थ को अपने पास रखना तथा धोखाधड़ी।

हर किसी को अपने परिजनों, मित्रों और प्रियजनों के साथ सकारात्मक और सुरक्षित रिश्तों का अनुभव करने का अधिकार है। अन्य देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा बरतना गैर-कानूनी एवं गंभीर अपराध है। इसके अंतर्गत घर या विवाह से सम्बंधित हिंसा भी शामिल हैं, जिसे घरेलू या पारिवारिक हिंसा कहते हैं। घरेलू और पारिवारिक हिंसा में ऐसे आचरण या धमकियाँ शामिल हैं जो पार्टनर में भय पैदा करके या उनकी सुरक्षा को धमकियाँ देकर उनपर काबू करने पर केन्द्रित हों। घरेलू और पारिवारिक हिंसा में मारना-पीटना, किसी परिजन को मित्रों या परिवार से अलग करना, या बच्चों या पालतू पशुओं को डराना-धमकाना शामिल है। घरेलू और पारिवारिक हिंसा स्वीकार्य नहीं है और यह गैर-कानूनी है।

ये अपराध करने वाला व्यक्ति जेल भेजा जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। किसी को भी अपने साथ बुरा या नुकसानदायक व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए। और अधिक जानकारी www.respect.gov.au and www.1800respect.org.au पर उपलब्ध है।

यातायात सम्बंधी अपराध

राज्य एवं प्रादेशिक सरकारें सड़क एवं यातायात नियमों का नियंत्रण करती हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है या उन्हें जेल भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में कार चलाने के लिए आपके पास स्थानीय ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और कार पंजीकृत होनी चाहिए।

गाड़ी में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीटबेल्ट पहननी चाहिए। शिशु और छोटे बच्चे अनुमोदित कार सीट में होने चाहिए। यातायात कानून बहुत सख्त हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद या यदि आप बल्ड एल्कोहल सीमा से अधिक हों तो गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है। गाड़ी चलाते समय हैंड-हेल्ड (हाथ में पकड़ कर) मोबाइल डिवाइस का प्रयोग करना भी गैर-कानूनी है।

भाग चौथा

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ

स्वतंत्रता, सम्मान, निष्पक्षता और अवसर की समानता पर आधारित ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ हमारे समुदाय के रहने के लिए एक सुरक्षित, संपन्न और शांतिमय स्थान बने रहने के लिए अहम हैं।

हमारी मान्यताएँ हमारे देश को परिभाषित करती और इसे आकार देती हैं और यही कारण है कि इतने सारे लोग ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनना चाहते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता का मतलब है इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन और अपने स्थानीय समुदाय में जीना। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इन मान्यताओं को समझें जिनकी सभी ऑस्ट्रेलियावासियों से उम्मीद की जाती है कि वे इसका सम्मान करेंगे, इसे साझा और इसे बनाए रखेंगे।

हमारी मान्यताएँ

कानून के नियम के प्रति वचनबद्धता

सभी ऑस्ट्रेलियाई हमारे कानून और कानूनी प्रणालियों द्वारा संरक्षित हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग एक शांतमय और व्यवस्थित समाज को बनाए रखने में कानूनों की महत्ता की पहचान करते हैं।

कानून के नियम के अधीन, सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग कानून के संबंध में समान हैं और कोई भी व्यक्ति या समूह कानून से ऊपर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, हर किसी को कानून का अनुपालन करना चाहिए और किसी भी समय इसकी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको जुर्माने लग सकते हैं। यदि कोई आपको न भी देख रहा हो तो भी आपको कानून का अनुपालन करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई कानून ऑस्ट्रेलिया में सभी लोगों पर लागू होते हैं। इसका यह अर्थ है कि भले ही आपकी पृष्ठभूमि या संस्कृति कोई भी हो, आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का अनुपालन करें।

संसदीय लोकतंत्र

ऑस्ट्रेलिया में संसदीय लोकतंत्र पर आधारित शासन-प्रणाली है. हमारे कानून लोगों द्वारा चुने गए सांसदों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि देश के शासन में ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग शामिल होते हैं।. सरकार की शक्ति ऑस्ट्रेलिया की जनता में निहित है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग संसद में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई चुनावों में मतदान अनिवार्य है । यह चुनावों में भाग लेने की महत्ता को दर्शाता है।

बोलने की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलिया में लोग स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम होने चाहिए, बशर्ते ऐसा कानून के दायरे में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग सामाजिक या राजनैतिक चर्चा के लिए सरकारी या गैर-सरकारी स्थानों पर मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को यह भी स्वतंत्रता है कि जो वे सोचते हैं वह वे कह और लिख सकते हैं, और दूसरों के साथ अपने विचारों की चर्चा कर सकते हैं। समाचार-पत्रों, टेलीविज़न और रेडियो आउटलेट्स को भी यही स्वतंत्रता प्राप्त है।

ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सरकार द्वारा उठाए कदमों के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अनुमति है, क्योंकि शांतिपूर्ण लोक विरोध की सहिष्णुता लोकतंत्र का अत्यावश्यक भाग है।

इस कारणवश किसी व्यक्ति या लोगों के समूह (जैसे कि उनकी संस्कृति, जातियता, धर्म या पृष्ठभूमि के कारण) के खिलाफ हिंसा का प्रसार करना कभी भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं और कानून के खिलाफ होता है। झूठे आरोप लगाना या अन्य लोगों को कानून की उल्लंघना करने के लिए प्रेरित करना भी गैर-कानूनी है। हमें दूसरों के कथन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए, बशर्ते कि अभिव्यक्ति कानून के दायरे में हो।

संघ बनाने की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलिया में, लोगों को अपनी इच्छा से किसी समूह से जुड़ने या इसे छोड़नी की स्वतंत्रता है बशर्ते कि ऐसा कानून के दायरे में किया जाए। लोगों को यह स्वतंत्रता है कि वे किसी भी कानूनी संस्था से जुड़ें, जैसे कि राजनैतिक दल, ट्रेड युनियन, धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक समूह। लोगों को किसी संस्था से जुड़ने या इसे छोड़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई लोग स्वतंत्र रुप से अन्य लोगों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, इसमें सरकार द्वारा उठाए किसी कदम या संस्था का विरोध करने के लिए ऐसा करना शामिल है। परन्तु, सभी विरोध कानून के दायरे में होने चाहिए। इसका यह अर्थ है कि यह शांतिपूर्ण होना चाहिए, और इससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।

धर्म की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलिया का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय धर्म नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। सरकार सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव करती है, चाहे उनका धर्म या विचारधारा कैसी भी हो। परन्तु, धार्मिल अभ्यासों को ऑस्ट्रेलियाई कानून की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए।

धार्मिक कानूनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को ऑस्ट्रेलियाई कानून का अनुपालन करना चाहिए, भले ही ये धार्मिक कानून से अलग हों। कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक अभ्यास, जैसे कि पॉलीगेमी (एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति से विवाहित होना) तथा ज़बरन विवाह ऑस्ट्रेलियाई कानून के विरुद्ध है और इसके कारण गंभीर कानून दण्ड दिए जा सकते हैं, जिसमें कारावास शामिल है।

धार्मिक असहिष्णुता को ऑस्ट्रेलियाई समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। सभी लोगों को अपने हित और रुचियों को प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए भले ही उनकी जाति या धर्म कोई भी हो, बशर्ते कि वे ऑस्ट्रेलियाई कानून का अनुपालन करते हैं।

कानून के अधीन सभी लोगों की समानता

ऑस्ट्रेलियाई समाज सभी लोगों के समान अधिकारों का सम्मान करता है, भले ही उनका लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, धर्म, जाति या राष्ट्रीय या नस्ली मूल कोई भी हो। ऑस्ट्रेलिया में कई कानून हैं जो किसी व्यक्ति के साथ अन्य लोगों की तुलना में अलग व्यवहार किसे जाने से उसकी सुरक्षा करते हैं।

यह कानून ऑस्ट्रेलिया में लागू किया जाता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि से सम्बन्धित लोगों के साथ प्राथमिकता देते हुए व्यवहार न किया जाए, या उनके साथ भेदभाव न हो। जैसे कि, बौद्ध लोगों और अन्य धर्म के लोगों को ईसाई लोगों के समान अधिकार हैं। हमारे कानूनों के अधीन, दो लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, इसमें दो पुरुषों का या दो महिलाओं का आपस में विवाह करना शामिल है।

स्त्री-पुरुष दोनों को ऑस्ट्रेलिया में समान अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें अपने लक्ष्य और हित प्राप्ति के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। शिक्षा एवं रोजगार के लिए स्त्री-पुरुष दोनों को समान अवसर उपलब्ध है, स्त्री-पुरुष चुनावों में मतदान कर सकते हैं और संसद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं, स्त्री-पुरुष दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की प्रतिरक्षा सेना और पुलिस में भर्ती हो सकते है और न्यायालय में स्त्री-पुरुष दोनों ही के साथ समान व्यवहार किया जाता है।

किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में, यदि महिला की पुरुष से बेहतर योग्यताएँ और कौशल है तो उसे उस पुरुष से पहले नौकरी मिलने का अधिकार है।

पुरुषों और महिलाओं दोनों को निजी मामलों, जैसे कि विवाह और धर्म, के बारे में अपने स्वतंत्र विकल्प लेने का अधिकार है और दोनों को डराने-धमकाने या हिंसा से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। पति-पत्नी या पार्टनर (सहजीवी) के खिलाफ शारीरिक हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करना एक अपराध है।

ऑस्ट्रेलिया में तलाक लेना स्वीकार्य है। पति या पत्नी अदालत में तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं भले ही उस पति की पत्नी या उस पत्नी का पति विवाह को आगे जारी रखना चाहते हों।

अवसर की समानता और 'समार अवसर की उपलब्धता'

हमारा मानना है कि हर कोई 'समान अवसर' के लिए पात्र होता है और उनपर किसी वर्ग विशिष्ट की सीमा नहीं लगाई जानी चाहिए। हर किसी को, भले ही उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिया जाता है और यह सुनिश्चित करना कि हर किसी के पास समान कानूनी अधिकार हैं, ऑस्ट्रेलियाई समाज में निष्पक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

जीवन में व्यक्ति क्या हासिल करता है यह उनके कड़े परिश्रम और प्रतिभाओं के आधार पर होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि व्यक्ति को उसके कौशल और अनुभव के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, न कि उसके लिंग, पैसे या पृष्ठभूमि के आधार पर।

यदि किसी संस्था को किसी को नौकरी पर रखने की ज़रुरत होती है, तो कानून यह समर्थन देता है कि वह उस व्यक्ति को नौकरी पर रखें जिसका कौशल और अनुभव उसके लिए श्रेष्ठ हो।

ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे नए आप्रवासी लोग यहां आकर व्यापार, व्यवसाय, कला, लोकसेवा एवं खेलकदू में अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण अग्रणी बन पाए है।

दूसरों के लिए पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता

ऑस्ट्रेलिया में लोगों को दूसरों की स्वतंत्रता और गरिमा, तथा उनके विचारों और विकल्पों का सम्मान करना चाहिए।

किसी व्यक्ति के साथ हिंसक होना गैर-कानूनी है। किसी भी प्रकार की हिंसा, मुंह-ज़बानी और शारीरिक दुर्व्यवहार, गैर-कानूनी है। ऑस्ट्रेलियाई लोग शांतमय असहमति में और सबसे पहले हिंसात्मक और डराने-धमकाने वाले व्यवहार से सुरक्षित और स्वतंत्र होने के अधिकार में विश्वास करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में, यौन सहमति की आयु से सम्बन्धित कानून बहुत सख्त हैं, जो जिस राज्य या टेरेटरी में आप निवास करते/करती हैं, उसपर निर्भर करते हुए 16 या 17 साल होती है। जैसे कि, ऑस्ट्रेलिया में, 20 साल का लड़का 15 साल की लड़की से यौन संबंध नहीं बना सकता है क्योंकि यह सभी ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और टेरेटरियों में गैर-कानूनी है।

ऑस्ट्रेलिया में, पुलिस की कानूनी कार्यवाहियों का समर्थन किया जाना चाहिए। आपको पुलिस द्वारा किए गए कानूनी निवेदन का पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी ऑस्ट्रेलिया कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ऑस्ट्रेलिया पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता के सिद्धांतों को मान्यता देता है। इसका यह अर्थ है कि दूसरों की बात सुनना और उनके विचारों व मतों का सम्मान करना, भले ही वे आपके विचारों व मतों से अलग हों। यदि लोगों को लगता है कि वे दूसरों से असहमत हैं तो उन्हें धैर्य धारण करना चाहिए।

रेसिज़्म (नस्लवाद) का ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है। इसमें इंटरनेट या अन्य प्रकाशनों पर जातिय तौर पर अपमानजनक सामग्री का निर्माण करना या इसे साझा करना तथा सार्वजनिक स्थान या किसी खेलकूद समारोह में जातिय तौर पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करना शामिल है।

हमारा समुदाय

योगदान देना

नागरिकता से आपको हमारे राष्ट्र के जीवन और समुदाय में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग यह उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हर व्यक्ति समाज में भाग ले और योगदान दे। यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वे अपना और अपने परिवारों का समर्थन करें, यदि वे ऐसा करने में सक्षम हो तो।

जरूरतमंदों के लिए सहानुभूति

ऑस्ट्रेलियाई लोग 'दोस्ती-मित्रता' को मान्यता देते हैं। हम ज़रुरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि, इसका अर्थ किसी वृद्ध के पास भोजन ले जाना, किसी मित्र को उसकी डॉक्टरी एपॉइंटमेंट पर ले जाना, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो अकेला रहता हो।

दोस्ती-मित्रता की भावना में, ऑस्ट्रेलिया की सामुदायिक सेवा और स्वयंसेवा की दृढ़ परंपरा है – एक दूसरे का ध्यान रखना और समुदाय को मज़बूत बनाना। स्वयंसेवा करना ज्ञान बांटने, नया कौशल सीखने और ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में अपने एकीकरण तथा अपनेपन की भावना को बढ़ाने का एक बढ़िया अवसर है। ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए स्वयंसेवा करने के कई अवसर हैं।

राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी

ऑस्ट्रेलियाई समाज अंग्रेज़ी को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता देता है, और यह समाज में एकजुटता लाने का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करना चाहिए।

अंग्रेज़ी बोलना सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षा, नौकरी और समाज में बेहतर एकीकरण करने में मदद मिलती है। यह आर्थिक सहभागिता और सामाजिक एकजुटता के लिए अत्यावश्यक है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के आवेदकों को अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए यथोचित प्रयास करने चाहिए, यदि यह उनकी देसी भाषा नहीं है तो।

समाज को सुरक्षित रखने में सहायता देना

ऑस्ट्रेलिया में, हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम ऑस्ट्रेलियाई समाज की सुरक्षा करें। जैसे कि, यदि ऑस्ट्रेलिया में लोगों को लगता है कि उनके मित्र या पड़ोसी आतंकवाद कृत्य की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें जितनी जल्दी संभव हो सके इसकी सूचना ऑस्ट्रेलियाई सरकारी प्राधिकरणों को देनी चाहिए। ऐसा करके, हम अपने समुदाय की सुरक्षा में मदद दे सकते हैं।

इसी तरह, यदि ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति किसी बच्चे का शोषण होते देखता है या इसकी जानकारी है, तो उसे इसकी जांच के लिए पुलिसे को इसकी सूचना देनी चाहिए।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार्य नहीं है। इसे कभी-कभी साइबर दुर्व्यवहार कहते हैं। इसकी उदाहरणों में सहमति के बिना यौन तस्वीरों या वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना, ऑनलाइन किसी व्यक्ति का पीछा करना, या ऑनलाइन किसी व्यक्ति के बारे में जातिय तौर पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करना। साइबर दुर्व्यवहार के कई प्रकार ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के प्रति सत्यनिष्ठा

नागरिकता समारोह में आप ऑस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक किसी अन्य देश या देशों की नागरिकता के धारक भी हो सकते हैं। इसे दोहरी, या बहु, नागरिकता कहते हैं। पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक भी है तो भी उसे हर समय सभी ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। कुछ ऑस्ट्रेलियाई कानून ऐसे हैं जिनकी पालना ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को विदेश में होते हुए भी करनी आवश्यक है। जैसे कि, ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए 16 साल से कम आयु के किसी बच्चे/बच्ची के साथ यहाँ या विदेश में किसी यौन कृत्य में शामिल होना गैर-कानूनी है।

ऑस्ट्रेलियाई समाज हमारे ऐसे साझे दायित्वों पर आधारित है जो ऑस्ट्रेलियाई के हितों और सुरक्षा से समझौता न करते हों। जैसे कि, आधिकारिक सरकारी राज़ साझे करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करना ऑस्ट्रेलियाई हितों से समझौता करना होगा। इसी तरह, किसी जातिय समुदाय के प्रति अविश्वास या भय पैदा करना ऑस्ट्रेलियाई सामुदायिक संबंधों को खराब करेगा।

ऑस्ट्रेलिया में, हम संकटकाल में एक जुट होते हैं और अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे की मदद करते हैं। 2019-20 के ऑस्ट्रेलिया के अत्यंत बुशफॉयर सीज़न के दौरान, जिसमें कई प्राण, माल और वन्यजीव का नुकसान हुआ था, और पर्यावरण का विनाश हुआ था, कई बहुसांस्कृतिक समुदायों ने पैसे, कपड़े और खाद्य-पदार्थ दान इकट्ठे करने के लिए मिलकर काम किया था ताकि बुशफॉयर से प्रभावित लोगों की मदद की जाए। जैसे कि, विक्टोरिया में चीनी, वियतनामी और कम्बोडियाई समुदाय के सदस्यों ने शॉपिंग सेंटरों पर दान इकट्ठा किए और स्थानीय सामुदायिक समारोहों के द्वारा चंदा इकट्ठा किया और सिख समुदाय के सदस्यों ने क्वींसलैंड में समुदायों और फायरफाइटरों को पानी की हज़ारों बोतलें दान की।

सारांश

हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों और साझी ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं ने शांतिमय और स्थिर समाज का निर्माण किया है।

हमारे लोकतांत् रिक संस्था नों और साझी ऑस्ट्रेल यिाईमान्य ताओं ने शांति मय और स्थिर समाज का निर्मा ण क यिाहै। साझी करने के ल एि हमारी एक संपन्न और विशि ष्टसंस्कृति है ऑस्ट्रे ल यिा के एक नागर कि के रूप में आप भीहमारी राष्ट्रीय गौरव-गाथा का एक हिस्सा बनेंगे औरहमारे भवि ष्य-निर्मा ण में अपना योगदान देंगे. नागर किताहमारा साझा सम्बंध है. ऑस्ट्रेल यिा में आपका स्वा गत है.नागर किता हमारा साझा सम्बंध है.

नागर किता परीक्षा की तैयारी करने के ल एि पेज 44-46 परदि ए गए अभ्या स प्रश्नों को हल करें .

परीक्षणीय खंड की शब्दावली

आदिवासी एवं टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग
आदिवासी एवं टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग ऑस्ट्रेलिया में भूभाग के मूल निवासी थे
ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के 3 प्रतिशत लोग आदिवासी एवं टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग हैं.

ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार आयोग [Australian Human Rights Commission]
एक स्वतंत्र आयोग जो भेदभाव और मानवाधिकारों की उल्लंघनाओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच-पड़ताल करता है।
नस्लवाद की घटनाओं की सूचना ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग को दी जा सकती है।

ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा
सरकारी विभाग एवं उनके द्वारा नियुक्त लोग
सरकारी विभाग एवं उनके द्वारा नियुक्त लोग पॉल को Services Australia के एक अधिकारी के रूप में ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा में नौकरी मिल गई।

नागरिक आंदोलन
भारी संख्या में लोगों द्वारा प्रदर्शन एवं दंगे - प्रायः किसी सरकारी निर्णय या नीति के विरोध में.
जब सरकार ने अलोकप्रिय कानून पारित किए, तो नागरिक आंदोलन हो गया.

गठबंधन
दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों का तालमेल - प्रायः सरकार या विपक्ष के निर्माण के लिए
चुनाव के बाद लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, अतः समान विचार वाली दो पार्टियों ने अपना गठबंधन बना लिया.

आयोग
आधिकारिक उत्तरदायित्व वाले लोगों का दल
चुनाव का आयोजन एक स्वतंत्र आयोग द्वारा किया जाता है.

संविधान
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कानून जिसकी पालना सरकार को अवश्य करनी चाहिए
संविधान वैधानिक, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ निर्धारित करता है।

संवैधानिक राजतंत्र
ऐसा देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी होती है, किन्तु उनकी शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है.
हमारा संविधान यूनाइटेड किंगडम के राजा या रानी को हमारे राष्ट्र प्रमुख के रूप में मानते हुए, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल को एक संवैधानिक राजशाही के रूप में स्थापित करता है.

न्यायालय
वह जगह जहां किसी जज या मजिस्ट्रेट द्वारा कानूनी मुकदमों की सुनवाई की जाती है.
कानून तोड़ने पर लोगों को न्यायालय जाना पड़ सकता है.

आपराधिक मुकदमा
अदालती सुनवाई, जिससे यह फैसला किया जा सके कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष.
आपराधिक मुकदमे के बाद बैंक लुटेरे को जेल भेज दिया गया.

साइबर दुर्व्यवहार
वह व्यवहार जो किसी को नुकसान पहुँचाने के इरादे से उन्हें डराने, धमकाने, उत्पीड़ित या अपमानित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है।
कई प्रकार के साइबर दुर्व्यवहार ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी हैं और इनकी सूचना पुलिसे और ऑनलाइन सेवा जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसपर यह हुआ हो, को दी जानी चाहिए।

लोकतंत्र
लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन
ग्रेस को एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए खुशी हो रही थी, जहां वह संसद में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मत दे सकती थी.

घरेलू और पारिवारिक हिंसा
ऐसे आचरण या धमकियाँ शामिल हैं जो पार्टनर में भय पैदा करके या उनकी सुरक्षा को धमकियाँ देकर उनपर काबू करने पर केन्द्रित हों। घरेलू और पारिवारिक हिंसा स्वीकार्य नहीं है और यह गैर-कानूनी है।
घरेलू और पारिवारिक हिंसा ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी है और इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए।

नशीली दवाओं की तस्करी
गैर-कानूनी ढंग से विक्रय के लिए नशीली दवाएं खरीदना या अपने पास रखना
नशीली दवाओं की तस्करी के कारण जेस को जेल भेज दिया गया.

चुनाव
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नागरिक संसद के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं
18 साल या उससे अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को चुनाव में मत अवश्य डालना चाहिए.

निर्वाचन सूची
किसी चुनाव या रेफरेंडम में मत देने के लिए पंजीकृत लोगों की सूची
जब जेन मतदान केन्द्र पर पहुंची तो अधिकारी ने निर्वाचन सूची में उसके नाम की खोज की.

निर्वाचन क्षेत्र
उन मतदाताओं के शहर जो लोकसभा में राजनेताओं का चयन करने के लिए मतदान करते हैं
निर्वाचन क्षेत्रों को निर्वाचन शहर, प्रभाव या सीटें कहा जाता है.

समानता
स्थिति में समान
ऑस्ट्रेलियाई सभी लोगों की समानता में विश्वास करते हैं।

कानून लागू करना
यह सुनिश्चित करना कि लोग कानून का पालन करें
पुलिस कानून लागू करती और शांति बहाल करती है.

कार्यपालिका की शक्ति
कानून को प्रयोग में लाने की शक्ति और अधिकार - ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अंतर्गत शक्तियां में से एक
ऑस्ट्रेलिया सरकार के मंत्रियों एवं गवर्नर-जनरल के पास ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा निर्मित कानूनों के संचालन की कार्यपालिका शक्ति है.

समान अवसर
हर किसी को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, जीवन में सफल होने के लिए समान अवसर दिया जाता है
ऑस्ट्रेलिया में, हमारा मानना है कि हर किसी को 'समान अवसर' मिलना चाहिए।

परिसंघ
उपनिवेशों (कॉलोनियों) को कतिपय अधिकार देते हुए एक राष्ट्र के रूप में इन उपनिवेशों का विलय
1901 में सभी उपनिवेश एक परिसंघ में एकीकृत कर दिए गए, जिसे ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल कहा गया.

फर्स्ट फ्लीट (पहला बेड़ा)
उन ग्यारह जहाजों का समूह जिन पर 1788 में ब्रिटेन से चलकर कैप्टन आथर्र फिलिप न्यू साउथ वेल्स में आरोपित अपराधियां की बस्ती बसाने आए
26 जनवरी 1788 में सिडनी कोव पर पहला बेड़ा (फर्स्ट फ्लीट) पहुँचा था।.

पुष्प प्रतीक
राष्ट्रीय पुष्प
ऑस्ट्रेलिया का पुष्प-प्रतीक है सुनहरा वैटल.

ज़बरन विवाह
ऐसा विवाह जहाँ दोनों दम्पति या दोनों में से एक को फैसला लेने के आजादी नहीं थी
वह जबरन विवाह को लेकर कभी खुश नहीं थी और हमेशा इससे बाहर जाना चाहती थी।

अभी से
अभी से और भविष्य में
नागरिकता समारोह में, आप अभी से और भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के प्रति निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं.

प्रतीक-चिह्न
कोई सुपरिचित छवि
ऑपेरा हाउस सिडनी का प्रसिद्ध प्रतीक-चिह्न है.

जनजातीय
ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी एवं टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग
जनजातीय ऑस्ट्रेलियाई लोग इस देश के पहले लोग हैं।

एकीकरण
प्रवासियों द्वारा अनुकूलन करने की प्रक्रिया ताकि वे अपने नई, उभरते समाज में भाग ले सकें और योगदान दे सकें
समय के साथ-साथ, प्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया और स्थानीय समुदाय में एकीकरण करने से लाभ मिलता है।

न्यायपालिका की शक्ति
कानूनकी व्याख्या करने और उन्हें प्रयोग में लाने की शक्ति और अधिकार - ऑस्ट्रेलियाई सिं वधान के अतं गर्त तीन शक्तियां में से एक
ऑस्ट्रेलिया में न्यायालयों को न्यायिक अधिकार प्राप्त है।

विधायिका की शक्ति
कानून बनाने और उनमें परिवर्तन करने की शक्ति और अधिकार - ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अंतर्गत तीन शक्तियों में से एक
संविधान के अंतर्गत, विधायिका की शक्ति अर्थात कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है।.

स्वाधीनताएं (स्वाधीनता/स्वतंत्रता)
व्यक्तिगत आजादी एवं स्व-निर्भरता
हमारे लोकतांत्रिक समाज में लोगों को बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म चुनने और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है. हम इन स्वतंत्रताओं को मूल्यवान समझते हैं.

मजिस्ट्रेट
अवर न्यायालय का जज (नेता)
मजिस्ट्रेट ने लुटेरे को दोषी पाया और उसे जेल भेज दिया.

बन्धुता (दोस्ती-मित्रता)
खास-तौर पर कठिन स्थितियों में दूसरों को मदद देना और उनसे मदद पाना
जब मेरी कार खराब हो गई तो बन्धुता की चेतना के साथ अन्य ड्राइवरों ने गाड़ी धकेलने में मदद दी.

राष्ट्रगान
राष्ट्रगीत
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है 'ऐडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर'.

संसदीय लोकतंत्र
नागरिकों द्वारा संसद में नियमित रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने पर आधारित सरकार-प्रणाली
संसदीय लोकतंत्र में, लोग अपने प्रतिनिधियों को मत देते हैं.

राजनीतिक दल
लोगों का समूह जो देश पर शासन चलाने के बारे में समान विचारधारा रखते हैं और आम-तौर पर चुनाव लड़ते हैं
राजनीतिक दल के सदस्य नियमित रूप से बैठकें करते हैं उदाहरण के लिए, लोक परिवहन के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए.

रेसिज़्म (नस्लवाद)
जाति, रंग, राष्ट्रीय या नस्लीय मूल के कारण किसी के खिलाफ किया गया भेदभाव, पक्षपात, उत्पीड़न या घृणा।
रेसिज़्म (नस्लवाद) ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार्य नहीं है और इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। शिकायतें ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार आयोग को भी की जा सकती हैं।

रेफरेंडम
ऑस्ट्रेलियाई संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में सभी मतदाताओं द्वारा दिए गए मत
1967 के रेफरेंडम में लोगों ने जनगणना में जनजातीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों की गिनती करने के पक्ष में मत दिया.

प्रतिनिधि
वह व्यक्ति जो दूसरों के बदले कथन देता है या कार्य करता है
मेरी स्थानीय कौंसिल के मेरे प्रतिनिधि ने मेरे विचार को पसन्द किया और उसे कौंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया

सम्मान
किसी व्यक्ति के तौर पर या उसके द्वारा लिए फैसले पर उसपर मनन करना
ऐम्ली को खुशी थी कि उसके परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाने के उसके फैसले का सम्मान किया।

कानून का नियम
नागरिकों और सरकार सहित सभी लोगों से बाध्यकारी होते हैं
प्रधानमंत्री सहित ऑस्ट्रेलिया में हर कोई कानून के नियम के तहत सभी ऑस्ट्रेलियाई कानूनों से बाध्यकारी होते हैं।

Services Australia
ऑस्ट्रेलियाई सरकारी संस्था जो Medicare, Centrelink और Child Support के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य, सामाजिक और कल्याण भुगतान और सेवाएँ प्रदान करती है।
Centrelink और अन्य सेवाओं के माध्यम से Services Australia समर्थन भुगतान करती है।

गुप्त मतदान
वह मतदान प्रणाली जिसमें लोग गुप्त रूप से मत देते हैं, जिससे कि कोई भी उन्हें किसी खास तरीके से मत देने के लिए प्रभावित या बाध्य न कर सके
गुप्त मतदान में आपके द्वारा मत दिए जाते समय कोई भी उसे देख नहीं पाता है

धर्म-निरपेक्ष
धर्म से मुक्त
धर्म-निरपेक्ष समाज में कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है।

आत्म-निर्भर
अपनी ज़रुरतों को पूरा कर पाना, अन्य लोगों की सहायता के बिना
नौकरी पा लेने से अब वह अपना भोजन खरीदने और अपना किराया खुद देने में सक्षम था। वह आत्म-निर्भर था।

संस्थापन
निर्माण, स्थापना, आरंभ करना
गवर्नर फिलिप ने न्यू साउथ वेल्स में पहली कॉलोनी की संस्थापना की

शायर
कोई स्थानीय प्रशासन क्षेत्र
मेरे शायर में सड़कें बहुत सुरक्षित हैं

सामाजिक सुरक्षा
बेरोजगार, विकलांगता ग्रस्त, वयोवृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सरकारी पेन्शन या लाभ
जब ट्रैंग की नौकरी चली गई, तो उसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए आवेदन करना पड़ा

ऑस्ट्रेलियाई कर निर्धारण कार्यालय [Australian Taxation Office] (ATO)
ऑस्ट्रेलियाई सरकारी संस्था जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए सेवाओं का समर्थन और वित्त-पोषण करने वाली कर और सुपरएनुएशन प्रणालियों का प्रबंध करती है।
हर साल अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोग ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय को टैक्स रिटर्न जमा करते हैं।

मान्यताएँ
वे सिद्धांत जो किसी व्यक्ति को यह फैसला लेने में मदद करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और अलग-अलग स्थितियों में कैसे काम करना चाहिए
ऑस्ट्रेलिया में मान्यताओं का साझा समूह है, जिसे हम ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ कहते हैं

स्वयंसेवक
वह व्यक्ति जो किसी भुगतान या प्रतिदान की आशा के बिना किसी व्यक्ति या संस्था को अपना समय देता है
रज़ा एक स्वयंसेवक है जो लोगों के घर जाकर उन्हें अंग्रेजी सिखाता है.

अभ्यास प्रश्नावली

ऑस्ट्रेलिया और इसके लोग

1. ऐनज़ैक डे के दिन हम किस बात का स्मरण करते हैं?
   क. पहले विश्वयुद्ध के दौरान गैलिपोली तुर्की में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड के सैन्य दलों का उतरना
   ख. ग्रेट ब्रिटेन से प्रथम स्वतंत्र आबादी का आगमन
   ग. सिडनी कोव पर फर्स्ट फ्लीट (पहला बेड़ा) का आना
2. ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ध्वज में कौन-कौन से रगं ह?
   क. काला, लाल और पीला
   ख. हरा, सफेद और काला
   ग. नीला, सफेद और हरा
3. कॉमनवेल्थ राजचिह्न (कोर्ट ऑफ आर्म्स) ?
   क. राष्ट्रगान
   ख. ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुष्प
   ग. ऑस्ट्रेलिया का कौन-सा राजकीय चिहन् कॉमनवेल्थ की सम्पति को दर्शाता हैं ?
4. ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 1901 के दिन क्या हुआ था?
   क. एक रेफरेंडम द्वारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान बदल डाला गया था
   ख. अलग-अलग कॉलोनियों को मिलाकर एक राज्यसंघ बना दिया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया।
   ग. ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की सैन्य सेनाओं की स्थापना हुई
5. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है?
   क. Brisbane
   ख. Canberra
   ग. Perth

ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक मान्यताएं, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं

6. इनमें से कौन कथन की स्वतंत्रता का एक उदाहरण है?
   क. लोग किसी सरकारी निर्णय के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं।
   ख. न्यायालय में स्त्री-पुरुष दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है
   ग. ऑस्ट्रेलिया के लोग इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि यदि वे चाहें तो किसी भी धर्म का अनुसरण न करें
7. ऑस्ट्रेलिया में सरकार के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है?
   क. सरकार कुछ धर्मों का अनुसरण करने से रोकती है
   ख. ऑस्ट्रेलिया की सरकार धर्म-निरपेक्ष है
   ग. धार्मिक नियम संसद द्वारा पारित किए जाते हैं
8. इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया में समानता का उदाहरण है?
   क. हर कोई एक ही धर्म को मानता है
   ख. स्त्री-पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं
   ग. हर कोई एक ही राजनीतिक दल से सम्बंध रखता है

9. इनमें से कौन-सा एक दायित्व 18 वर्ष या अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर लागू होता है?

क. लोकल कौंसिल की बैठकों में भाग लेना

ख. संघीय तथा राज्य या राज्य-क्षेत्र के चुनावों तथा रेफरेंडम में मतदान करने के लिए

ग. अद्यतन ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट अपने पास रखना

10. पासपोर्ट के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है?

क. ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं

ख. स्थायी निवासी ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट रख सकते हैं

ग. ऑस्ट्रेलिया वापस लौटने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को पासपोर्ट और वीज़ा की जरूरत होती है

ऑस्ट्रेलिया में सरकार और कानून

11. ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में मत देने के सम्बंध में इनमें से कौन-सा कथन सही ह?

क. लोग किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत डालने के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित हैं

ख. मत हाथ उठाकर दिया जाता है

ग. लोगों को अपने मत के ऊपर अपना नाम लिखना होता है

12. उस कानूनी दस्तावेज़ का क्या नाम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए नियमों की स्थापना की गई है?

क. ऑस्ट्रेलियाई परिसंघ

ख. ऑस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ

ग. ऑस्ट्रेलियाई संविधान

13. रेफरेंडम किसे कहते हैं?

क. सरकार बदलने के लिए दिया गया मत

ख. ऑस्ट्रेलिया का संविधान बदलने के लिया दिया गया मत

ग. प्रधानमंत्री को बदलने के लिए दिया गया मत

14. सरकार के किस अंग को कानून की व्याख्या करने और उन्हें प्रयक्तु करने का अधिकार है?

क. विधायिका

ख. कार्यपालिका

ग. न्यायपालिका

15. इनमें से गवर्नर-जनरल की एक भूमिका कौन-सी है?

क. राज्य के प्रीमियरों की नियुक्ति

ख. ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा कानून के रूप में पारित सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना

ग. राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ

16. इनमें से कौन से वक्तव्यअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं को सबसे अच्छे से दर्शाते हैं?
    - क. हर कोई कानून के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकता है
    - ख. जिन लोगों के विचार मेरे विचारों से अलग हैं उन्हें चुप रहना चाहिए
    - ग. केवन अनुमोदित विषयों पर ही चर्चा की जा सकती है
17. क्या ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करना चाहिए?
    - क. ऑस्ट्रेलिया में लोगों से को उस भाषा में ही बात करनी चाहिए जो उनके स्थानीय आसपड़ोस में सबसे सामान्य तौर पर बोली जाती है।
    - ख. ऑस्ट्रेलिया में कोई खास भाषा सीखने को लेकर कोई उम्मीद नहीं रखी जाती है
    - ग. हाँ, अंग्रेज़ी ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा है और इससे शिक्षा, नौकरी और समाज में बेहतर एकीकरण करने में मदद मिलती है।
18. ऑस्ट्रेलिया में, यदि आपका अपमान किया गया है तो क्या आप किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे सकते/सकती हैं?
    - क. हाँ, यदि आपका इरादा हिंसा करने का नहीं है।
    - ख. नहीं, यह ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं और कानून के खिलाफ है
    - ग. कभी-कभी, यदि मैं अपमानित महसूस करूँ तो
19. यदि लोग एक-दूसरे से असहमत हों तो क्या उन्हें एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता दर्शानी चाहिए
    - क. किसी व्यक्ति के साथ असहमत होना गैर-कानूनी है।
    - ख. नहीं, लोगों को तभी अन्य लोगों का सम्मान करना चाहिए यदि वे उनसे सहमत हों
    - ग. हाँ, शांतिमय असहमति पारस्परिक सम्मान से सम्बन्धित ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं को दर्शाती है।
20. निम्नलिखित में कौन सी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में योगदान देने की एक उदाहरण है?
    - क. स्वयंसेवी काम करना या चंदा इकट्ठा करना हमारे समुदाय को मज़बूत बनाने का एक बढ़िया अवसर है
    - ख. मुझे दूसरे लोगों को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए
    - ग. ऑस्ट्रेलिया में लोगों को समुदाय में योगदान नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है

जवाब

1क, 2क, 3ग, 4ख, 5ख, 6क, 7ख, 8ख, 9ख, 10क, 11क, 12ग, 13ख, 14ग, 15ख, 16क, 17ग, 18ख, 19ग, 20क

परीक्षणीय खंड की समाप्ति